दृष्टि The Vision

RAS Series : Book-3

राजस्थान, भारत एवं विश्व की अर्थव्यवस्था

RAS/RTS सहित अधीनस्थ सेवाओं एवं
पटवार, एलडीसी, टीचर्स ग्रेड (I & II) सुपरवाइज़र,
सब-इंस्पेक्टर सहित अन्य एकदिवसीय परीक्षाओं के लिये संपूर्ण पुस्तक

अब घर बैठे कीजिये आई.ए.एस. की तैयारी क्योंकि हम आ रहे हैं आपके घर

हिंदी साहित्य

द्वारा- डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

मोड : ऑनलाइन / पेन ड्राइव / एस.डी. कार्ड / टैबलेट

IAS परीक्षा में सर्वाधिक अंकदायी वैकल्पिक विषय 'हिंदी साहित्य' पढ़िये सिविल सेवा जगत के सबसे लोकप्रिय शिक्षक डॉ. विकास दिव्यकीर्ति से। इस कोर्स में शामिल हैं 157 रोचक कक्षाएँ, जिनमें IAS का संपूर्ण पाठ्यक्रम एकदम आधारभूत स्तर से शुरू करते हुए पढ़ाया गया है। इन कक्षाओं को गंभीरता से करने और क्लास नोट्स (जो आपके पास भेजे जाएंगे) को पढ़ने के बाद आपको कुछ भी अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। इन कक्षाओं से परीक्षा की तैयारी तो होगी ही, साथ ही जीवन के प्रति सुलझा हुआ नज़रिया भी विकसित होगा।

यह कोर्स ऑनलाइन मोड (ऐप) के अलावा पेन ड्राइव तथा टैबलेट मोड में भी उपलब्ध है। यदि आप इंटरनेट नेटवर्क की कमी या किसी अन्य कारण से यह कोर्स मोबाइल फोन की बजाय लैपटॉप/कंप्यूटर या टैबलेट पर करना चाहते हैं तो कृपया ऐप के होम पेज पर जाकर पेनड्राइव कोर्स या टैबलेट कोर्स की टैब पर क्लिक करें।

एडमिशन प्रारंभ

कक्षाओं की गुणवत्ता को परखने के लिये डेमो वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल **Drishti IAS** की प्लेलिस्ट **Online Courses** में देखें	ऑनलाइन कोर्स से जुड़ी हर जानकारी के लिये हमारी वेबसाइट **www.drishtiias.com** या **Drishti Learning App** पर **FAQs** पेज देखें

इस कोर्स से संबंधित किसी भी अतिरिक्त जानकारी के लिये 9311406440-41 नंबर पर सीधे बात या मैसेज करें

हिंदी साहित्य : कोर्स की विशेषताएँ

1. UPSC के पाठ्यक्रम के लिए 400+ घंटे की कक्षाएँ।
2. UPPCS एवं BPSC के विशिष्ट टॉपिक्स के लिये 30-30 घंटे की पृथक कक्षाएँ।
3. प्रत्येक कक्षा को 3 बार देखने की सुविधा, ताकि आप टॉपिक को पढ़ने के बाद रिवीज़न भी कर सकें।
4. हर क्लास में उस टॉपिक से IAS, PCS में पूछे गए और अन्य संभावित प्रश्नों का विस्तृत अभ्यास।
5. स्टेट-ऑफ-द-आर्ट कैमरा और साउंड क्वालिटी, जो क्लास के अनुभव को एकदम वास्तविक जैसा बनाती है।
6. पाठ्यक्रम की टेक्स्ट बुक्स व नोट्स भी इस कार्यक्रम में शामिल, जिनके अलावा किसी अन्य अध्ययन सामग्री की आवश्यकता नहीं।

अधिक जानकारी के लिये अपने एंड्रॉयड फोन पर आज ही इंस्टॉल करें

Drishti Learning App

दृष्टि आई.ए.एस. (दिल्ली) :
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
☎ 87501 87501

दृष्टि आई.ए.एस. (प्रयागराज) :
ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइन्स, प्रयागराज
☎ 87501 87501

RAS Series : Book-3

राजस्थान, भारत एवं विश्व की अर्थव्यवस्था

दृष्टि पब्लिकेशन्स

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष: 011-47532596, 87501 87501

Website: www.drishtiias.com
E-mail : booksteam@groupdrishti.com

शीर्षक : राजस्थान, भारत एवं विश्व की अर्थव्यवस्था

लेखक : टीम दृष्टि

संस्करण- नवंबर 2020

मूल्य : ₹ 410

ISBN :

प्रकाशक

VDK Publications Pvt. Ltd.
(दृष्टि पब्लिकेशन्स)
641, प्रथम तल,
डॉ. मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

- इस पुस्तक में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।
- हम विश्वास करते हैं कि इस पुस्तक में छपी सामग्री लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखी गई है। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो प्रकाशक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
- सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।
- **© कॉपीराइट :** VDK Publications Pvt. Ltd. (दृष्टि पब्लिकेशन्स), सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपीकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानांतरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।
- एम.पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेज़-2, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित।

दो शब्द...

प्रिय पाठको,

अपनी स्थापना के समय से ही हमारा उद्देश्य यही रहा है कि हम आप पाठकों को श्रेष्ठ गुणवत्ता की पाठ्य-सामग्री उपलब्ध करा सकें। इसी संकल्प के साथ हम अपनी यात्रा में बढ़ते गए। हमें इस बात की खुशी है कि इस यात्रा में आप पाठकों का अपार स्नेह प्राप्त हुआ, जिससे हमें और आगे बढ़ने तथा नए प्रयोगों को आज़माने का हौसला मिला। हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर विद्यार्थी हमसे संवाद करते हैं और अपनी बात हम तक पहुँचाते हैं। हम इन संवादों पर गंभीरता से विचार करते हैं तथा हमारी कोशिश रहती है कि आपके अधिक से अधिक जायज़ सुझावों को मूर्त रूप प्रदान कर दिया जाए। इसी सिलसिले में लंबे समय से यह मांग हमारे पास आ रही थी कि हम 'राजस्थान प्रशासनिक सेवा' (आरएएस) के लिये भी पुस्तकों का प्रकाशन करें। हमारी भी इस बात को लेकर सहमति थी कि विद्यार्थियों के बीच श्रेष्ठ कंटेंट उपलब्ध होना ही चाहिये। हम जब भी कोई नई शुरुआत करते हैं तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम श्रेष्ठ गुणवत्ता की पाठ्य-सामग्री के अपने संकल्प से किसी भी कीमत पर समझौता न करें। इसलिये इस प्रस्ताव पर हम लंबे समय से काम कर रहे थे, लेकिन अनेक चरणों से गुज़रने के बाद जब हम इस बात को लेकर आश्वस्त हो गए कि ये पुस्तकें आपके संघर्ष को आसान करने में सक्षम हैं; तब हमने इनके प्रकाशन का निर्णय लिया।

अब, हम आपके समक्ष एक नई पुस्तक शृंखला के साथ उपस्थित हैं, जो न केवल आरएएस को संपूर्णता से कवर करती है बल्कि यहाँ की अधीनस्थ सेवाओं के लिये भी समान रूप से उपयोगी है। यह कुल **आठ पुस्तकों** की एक सीरीज़ है, जिसकी तीसरी कड़ी के रूप में **'राजस्थान, भारत एवं विश्व की अर्थव्यवस्था'** की पुस्तक अब आपके हाथों में है। विशिष्ट रूप से इस पुस्तक की चर्चा के पूर्व हम आपको संक्षेप में इस सीरीज़ की कुछ विशेषताओं से अवगत कराना चाहेंगे, ताकि आप इसकी उपयोगिता और अपनी तैयारी में इसके महत्त्व का ठीक-ठीक अनुमान कर सकें।

यह सीरीज़ राजस्थान प्रशासनिक सेवा के संपूर्ण पाठ्यक्रम (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा) को तो कवर करती ही है, साथ ही हमने इसमें उन अतिरिक्त तथ्यों को भी शामिल कर दिया है जो आरएएस के पाठ्यक्रम से सुसंगत हैं और राजस्थान की प्रमुख अधीनस्थ/एकदिवसीय परीक्षाओं के लिये काफी महत्त्वपूर्ण हैं। इससे बिना अतिरिक्त मेहनत के अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी हो जाएगी और आरएएस पर मुख्य फोकस भी बना रहेगा। इस सीरीज़ की प्रत्येक पुस्तक लगभग 400-600 पृष्ठों की है। प्रथमद्रष्टया आपको यह आकार बड़ा लग सकता है लेकिन ऐसा इसलिये है ताकि एक ही स्रोत से आपकी पूरी तैयारी हो सके। जब आप इसे पढ़ेंगे तो इस बात को महसूस कर पाएंगे।

अब, प्रस्तुत पुस्तक की बात करें तो यह राजस्थान, भारत एवं विश्व की अर्थव्यवस्था के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करती है। विशेषज्ञों की हमारी टीम ने इस विषय से संबंधित सभी महत्त्वपूर्ण मानक पुस्तकों का अध्ययन कर आयोग की मांग के अनुरूप उसके सार को प्रस्तुत किया है। हमारी टीम ने अब तक पूछे गए प्रश्नों का भी गंभीरता से अवलोकन किया है तथा पाठ्य-सामग्री को इसी अनुरूप ढाला है। प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के साथ-साथ भविष्य के लिये संभावित प्रश्नों का भी संकलन किया गया है। इससे आपको न केवल परीक्षा की प्रकृति का अनुमान हो सकेगा बल्कि आप पढ़े हुए पाठ को रिवाइज़ भी कर सकते हैं। तथ्यों की सटीकता के लिये हमारी टीम ने कई चरणों में इसे जाँचा है तथा इस बात को सुनिश्चित किया है कि पुस्तक तथ्यात्मक त्रुटियों से मुक्त हो। भाषा और प्रस्तुतीकरण के स्तर पर भी हमारी कोशिश यही रही है कि संप्रेषण सहज और बोधगम्य हो।

अंत में यह कि अब यह पुस्तक आपके हाथों में है। इसके अंतिम निर्णयकर्त्ता भी आप ही हैं। आप इसे पढ़ें और अपनी राय हमें बताएँ। इससे हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। **आप अपनी राय हमें 8130392355 नंबर पर वाट्सएप मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं।**

साभार,

प्रधान संपादक

दृष्टि पब्लिकेशन्स

अनुक्रम

खंड-A: राजस्थान की अर्थव्यवस्था

1. राजस्थान अर्थव्यवस्था : संवृद्धि एवं वृहद् परिदृश्य ..... 3 – 15
2. राजस्थान : आर्थिक नियोजन ..... 16 – 24
3. राजस्थान के विकास के विविध आयाम ..... 25 – 31
4. राजस्थान अर्थव्यवस्था : प्राथमिक क्षेत्र ..... 32 – 50
5. राजस्थान अर्थव्यवस्था : द्वितीयक क्षेत्र ..... 51 – 66
6. राजस्थान अर्थव्यवस्था : सामाजिक क्षेत्र विकास ..... 67 – 80
7. राजस्थान बजट 2020-21 : विश्लेषण ..... 81 – 91
8. केंद्र व राजस्थान सरकार की योजनाएँ ..... 92 – 142

खंड-B: भारतीय अर्थव्यवस्था

9. भारतीय अर्थव्यवस्था : सामान्य परिचय ..... 3 – 15
10. राष्ट्रीय आय ..... 16 – 26
11. भारत में आर्थिक नियोजन ..... 27 – 46
12. समावेशी विकास तथा सामाजिक समावेशन ..... 47 – 60
13. कृषि ..... 61 – 87
14. उद्योग एवं सेवा क्षेत्र ..... 88 – 127
15. बैंकिंग, वित्तीय प्रणाली एवं मुद्रास्फीति ..... 128 – 175
16. लोक वित्त, राजकोषीय नीति एवं बजट व्यवस्था ..... 176 – 215
17. लेखांकन ..... 216 – 222

खंड-C: विश्व की अर्थव्यवस्था

18. विश्व व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ..... 3 – 34
19. भुगतान संतुलन ..... 35 – 52
20. अंतर्राष्ट्रीय संगठन ..... 53 – 80

खंड A

राजस्थान की अर्थव्यवस्था

1 राजस्थान अर्थव्यवस्था : संवृद्धि एवं वृहद् परिदृश्य
(Rajasthan Economy : Growth and Macro Scenario)

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किमी. है। यह देश के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित है। इसके पूर्वोत्तर में पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश; दक्षिण-पूर्व में मध्य प्रदेश एवं दक्षिण-पश्चिम में गुजरात स्थित है। पाकिस्तान से लगी हुई राजस्थान की सुदीर्घ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। राज्य की स्थलाकृति में विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला 'अरावली' पहाड़ियों की प्रधानता है। ये पहाड़ियाँ राज्य के मध्य मार्ग से होते हुए दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर जाती हैं। इसका पश्चिमी तथा उत्तर-पश्चिमी भाग मरु या अर्द्ध मरुस्थलीय है, जो वृहद् भारतीय मरुस्थल (थार का रेगिस्तान) के नाम से जाना जाता है। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य 7 संभाग एवं 33 ज़िलों में विभाजित है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) एवं प्रति व्यक्ति आय (पी.सी.आई.) राज्य की अर्थव्यवस्था की समग्र उपलब्धि को प्रदर्शित करती है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद को प्राय: 'राज्य आय' के नाम से जाना जाता है, जो एक निश्चित समयावधि में राज्य के आर्थिक निष्पादन के आकलन का प्रमुख साधन है तथा यह आर्थिक विकास के स्तर में आए परिवर्तन व इसकी दिशा को इंगित करता है। प्रति व्यक्ति आय, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की कुल जनसंख्या से विभाजित कर, प्राप्त की जाती है। प्रति व्यक्ति आय लोगों के जीवन स्तर एवं कल्याण का सूचक है।

राजस्थान की प्रमुख विशेषताओं का अखिल भारत से तुलनात्मक विवरण

सूचक	वर्ष	इकाई	राजस्थान	भारत
भौगोलिक क्षेत्रफल	2011	लाख वर्ग किमी.	3.42	32.87
जनसंख्या	2011	करोड़	6.85	121.09
दशकीय वृद्धि दर	2001–2011	प्रतिशत	21.3	17.7
जनसंख्या घनत्व	2011	जनसंख्या प्रति वर्ग किमी.	200	382
कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	2011	प्रतिशत	24.9	31.1
अनुसूचित जाति की जनसंख्या	2011	प्रतिशत	17.8	16.6
अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	2011	प्रतिशत	13.5	8.6
लिंगानुपात	2011	महिलाएँ प्रति हजार पुरुष	928	943
बाल लिंगानुपात (0–6 वर्ष)	2011	बलिकाएँ प्रति हजार बालक	888	919
साक्षरता दर	2011	प्रतिशत	66.1	73.0
साक्षरता दर (पुरुष)	2011	प्रतिशत	79.2	80.9
साक्षरता दर (महिला)	2011	प्रतिशत	52.1	64.6
कार्य सहभागिता दर	2011	प्रतिशत	43.6	39.8
जन्म दर	2017*	प्रति हजार जनसंख्या	24.1	20.2
मृत्यु दर	2017*	प्रति हजार जनसंख्या	6.0	6.3
शिशु मृत्यु दर	2017*	प्रति हजार जीवित जन्म	38	33
मातृ मृत्यु अनुपात	2015–17*	प्रति लाख जीवित जन्म	186	122
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा	2013–17*	वर्ष	68.5	69.0

* एस.आर.एस. बुलेटिन: भारत का महारजिस्ट्रार कार्यालय

2 राजस्थान : आर्थिक नियोजन
(Rajasthan : Economic Planning)

राजस्थान गैर-विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में शामिल है। राजस्थान विशिष्ट श्रेणी के राज्य में शामिल किये जाने की मांग करता रहा है। धीरे-धीरे राजस्थान अब पिछड़े हुए प्रदेश से विकासशील प्रदेश में परिवर्तित हो गया है।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के कारण (Reason of Backwardness of Rajasthan's Economy)

- **भौगोलिक स्थिति:** अरावली के पश्चिम में थार का मरुस्थल पाया जाता है। इस क्षेत्र में वनस्पतियों का अभाव, वर्षा की कमी, परिवहन सुविधा का अभाव आदि के कारण यह क्षेत्र पूर्ण विकसित नहीं हो पाया है।
- **प्राकृतिक बाधाएँ:** वर्षा की अनिश्चितता, अकाल, सूखा, पानी की समस्या, भूमि का कटाव आदि कारकों के कारण कृषि, पशुपालन, उद्योगों आदि पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कृषि की मानसून पर निर्भरता अधिक है।
- **विद्युत शक्ति का अभाव:** वर्ष 1950-51 में 13 मेगावाट क्षमता थी, जो वर्तमान में बढ़कर दिसंबर 2019 तक 21175.90 मेगावाट हो गई है। इसके बावजूद अभी भी राजस्थान विद्युत क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बन पाया।
- **अवसंरचना की कमी:** सड़क परिवहन, रेल परिवहन तथा बंदरगाह से दूरी आदि बाधक तत्त्व हैं। अभी भी बहुत से कस्बों तक परिवहन की व्यवस्था सुचारु नहीं हुई है। रेल परिवहन का विद्युतीकरण, डबल ट्रैक की कमी, तहसीलों तक रेल परिवहन का अभाव आदि कमियाँ अभी भी विद्यमान हैं।
- **सिंचाई के साधनों का अभाव:** 2018 तक कुल बोए गए क्षेत्र का 75 प्रतिशत वर्षा पर आधारित है। इस कारण से उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- **खनिज व ईंधन का अभाव:** राजस्थान में कच्चा लोहा व कोयले का अभाव है। ईंधन के अभाव से वृहद् उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है।
- **जनसंख्या वृद्धि, बेरोज़गारी:** राजस्थान की दशकीय वृद्धि 21.3% है, जो राष्ट्रीय वृद्धि से अधिक है। जनसंख्या वृद्धि का भार बढ़ने से बेरोज़गारी की समस्या बढ़ रही है। इसके अलावा प्राकृतिक प्रकोप और वित्तीय साधनों की कमी से समस्या जटिल हो गई है।
- **वित्तीय साधनों का अभाव:** आर्थिक विकास की प्रगति के लिये पर्याप्त मात्रा में वित्तीय साधनों की आवश्यकता होती है। राज्य पर बकाया कर्ज़ का भार बढ़ता जा रहा है। विद्युत क्षेत्र में उचित निवेश के बावजूद उचित प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है।
- **अन्य कारण:** सामाजिक पिछड़ापन, कुशल श्रमिकों का अभाव, शिक्षा स्तर, प्रशासन में पारदर्शिता का अभाव आदि अन्य कारक हैं।

पंचवर्षीय योजनाएँ (Five Year Plans)

पंचवर्षीय योजनाएँ (Five Year Plans)

योजना	स्वीकृत व्यय (करोड़)	वास्तविक व्यय (करोड़)	अन्य विवरण
प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56)	64.50	54.15	कृषिगत उत्पादन बढ़ाना, शिक्षा, सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाना।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61)	105.27	102.74	सिंचाई, ऊर्जा, सामाजिक सेवाओं पर बल तथा पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण।
तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66)	236.00	212.70	ऊर्जा, औद्योगिक व खनन पर विशेष ज़ोर दिया गया।
वार्षिक योजना (1966-69)	132.60	136.76	युद्ध काल में वार्षिक योजना का निर्माण हुआ, जिसमें शक्ति, सिंचाई व खाद्य पर बल दिया गया।
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74)	306.21	308.79	क्षेत्रीय विकास की अवधारणा पर बल। सूखा संभाव्य क्षेत्र, डेयरी उद्योग, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया गया।
पंचम पंचवर्षीय योजना (1974-79)	847.16	857.62	समाज के कमज़ोर वर्गों के लिये कार्यक्रम तथा विकेंद्रित नियोजन पर बल दिया गया और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया।

3 राजस्थान के विकास के विविध आयाम
(Various Dimensions of Development of Rajasthan)

विकास एक बहुआयामी अवधारणा है। इसका संबंध आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, क्षेत्रीय, मानवीय समेत सभी क्षेत्रों से होता है। विकास को प्रभावित करने वाले मुद्दे एवं विषय भी विविध एवं बहुआयामी होते हैं। इसमें आर्थिक विकास के संबंध में कृषिगत, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र के मुद्दे प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। वहीं सामाजिक विकास के संबंध में निर्धनता, बेरोज़गारी जैसे विषय महत्त्वपूर्ण हैं। क्षेत्रीय विकास सभी क्षेत्रों तथा स्तरों पर समान विकास की अपेक्षा से संबंधित होता है। मानव विकास व्यापक रूप में मानव जीवन के सभी बुनियादी विषयों से जुड़ाव रखता है।

सामाजिक विकास के आयाम (Dimensions of Social Development)

समाज के सभी वर्गों का समग्र विकास करना राज्य सरकार का प्रथम उत्तरदायित्व है। अशिक्षा, निर्धनता, बेरोज़गारी एवं स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ सामाजिक विकास के लिये सर्वप्रमुख बाधाएँ हैं। सरकार द्वारा सामाजिक विकास को गति देने के लिये निरंतर कदम उठाए गए हैं।

राजस्थान में निर्धनता *(Poverty in Rajasthan)*

विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 27 करोड़ से अधिक आबादी गरीब है, उनमें से 62% गरीब व्यक्ति सात राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और ओडिशा में हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश की 80% गरीब आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है।

	तेंदुलकर विधि (2011-12) (प्रतिशत)			रंगराजन (2011-12) (प्रतिशत)		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
राजस्थान	14.7	16.1	10.7	21.7	21.4	22.5
भारत	21.9	25.7	13.7	29.5	30.9	26.4

राजस्थान में गरीबी के कारण

आर्थिक कारण
- कृषि पर निर्भरता
- भौगोलिक परिस्थितियाँ
- निम्न प्रति व्यक्ति आय
- बड़े उद्योगों की कमी
- बेरोज़गारी
- प्राकृतिक आपदाएँ
- कुशल श्रमिक का अभाव

सामाजिक कारण
- अशिक्षा
- जनसंख्या वृद्धि
- महिलाओं की सहभागिता में कमी
- रूढ़िवाद
- जनजातीय समाज
- सामाजिक सेवाओं की अपर्याप्तता

राजनीतिक कारण
- नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन में कमी
- भूमि-सुधारों के क्रियान्वयन का अभाव

गरीबी निवारण के लिये केंद्र व राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएँ *(Main Plans of Centre & State Government For Poverty Removal)*

राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना (RRLP)

इस योजना का उद्देश्य राजस्थान के 18 लक्षित ज़िलों के 51 खंडों में गरीब ग्रामीणों, उपेक्षित समूह व महिलाओं का सशक्तीकरण एवं उनके संसाधनों को बढ़ाना है।

ज़िला निर्धनता पहल प्रोजेक्ट (DPIP)

वर्ष 2000 में विश्व बैंक की सहायता से राजस्थान के सात ज़िलों (बाराँ, चूरू, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, राजसमंद, टोंक) के 7039 गाँवों में निर्धनों को लाभ पहुँचाने के लिये संचालित की गई।

पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उपशमन परियोजना (MPOWER)

राजस्थान सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष एवं सर रतन टाटा ट्रस्ट की सहायता से पश्चिमी राजस्थान गरीबी उपशमन परियोजना पश्चिमी राजस्थान के छह खंडों क्रमशः जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सिरोही और जालौर, प्रत्येक में से एक खंड में परियोजना स्वीकृत की गई है तथा दो नए ब्लॉक सिरोही ज़िले में पिंडवाड़ा व जोधपुर ज़िले में बालेसर को भी वर्ष 2016-17 से इस योजनांतर्गत जीवन स्तर के संवर्द्धन हेतु चयनित किया गया है। इस परियोजना का दूरगामी उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान के चयनित खंडों, जो कि सबसे गरीब हैं, में गरीबों की आय में वृद्धि करके गरीबी को कम करना है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.)

ग्रामीण लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने एवं समावेशी विकास बढ़ाने के उद्देश्य से यह योजना पूरे राज्य में संचालित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि के लिये ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन का सुनिश्चित रोज़गार उपलब्ध कराना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं। मनरेगा के अंतर्गत आयोजन बनाने एवं क्रियान्वयन करने की ज़िम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं-

- ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासी इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण हेतु योग्य हैं।
- लाभान्वितों में कम-से-कम एक-तिहाई महिलाएँ होंगी।
- रजिस्ट्रेशन के 15 दिवस में परिवार के सभी वयस्क सदस्यों को फोटोयुक्त जॉबकार्ड निःशुल्क जारी होंगे।
- रोज़गार के आवेदन की दिनांक सहित प्राप्ति रसीद दी जाएगी।

4 राजस्थान अर्थव्यवस्था : प्राथमिक क्षेत्र
(Rajasthan Economy : Primary Sector)

प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधे उपयोग किया जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत कृषि तथा कृषि से संबंधित अन्य गतिविधियाँ (वानिकी, उद्यानिकी, मत्स्य पालन, डेयरी विकास, फसल, सिंचाई आदि) शामिल होती हैं। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है।

कृषि (Agriculture)

राजस्थान के गठन के समय राज्य की अर्थव्यवस्था मूलत: एक कृषि अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में विकास का स्तर बहुत कम था। कृषि गतिविधियाँ भी गुणात्मक रूप से बहुत खराब और कृषि समुदायों की जीवन शैली काफी दयनीय थी। राजस्थान की जनसंख्या का लगभग 62% अपनी आजीविका के लिये कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर रहता है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्त्व को देखते हुए राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में संलग्न बड़ी आबादी के लिये बेहतर जीवन शैली एवं कृषि को मानसून की अनिश्चितताओं और प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिये कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस योगदान को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है-

सकल राज्य मूल्य संवर्द्धन में कृषि का योगदान (स्थिर कीमतों पर)

वर्ष	स्थिर कीमतों पर (2011-12) कृषि का योगदान (₹ करोड़)	कुल (GSVA) का प्रतिशत
2015-16	136858.50	25.88%
2016-17	148770.86	26.40%
2017-18	151803.09	25.5%
2018-19	159347.97	25.04%
2019-20	168352.49	25.19%

वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में कृषि क्षेत्र में 5.65 प्रतिशत की वृद्धि दर रही।

सकल राज्य मूल्य संवर्द्धन में कृषि का योगदान (प्रचलित कीमतों पर)

वर्ष	प्रचलित कीमतों पर कृषि का योगदान (₹ करोड़ में)	कुल (GSVA) में योगदान (प्रतिशत में)
2017-18	208422.98	26.37%
2018-19	224515.27	25.16%
2019-20	247175.81	25.56%

शुद्ध राज्य मूल्यवर्द्धन में कृषि का योगदान

वर्ष	स्थिर कीमतों पर (2011-12) (₹ करोड़ में)	कुल (GSVA) में %	प्रचलित कीमत पर (₹ करोड़ में)	प्रतिशत कुल (GSVA) का
2017-18	141564.01	27.08%	194713.11	27.67%
2018-19	148631.92	26.57%	209514.21	26.36%
2019-20 अनुसार	157006.05	26.72%	230034.25	26.68%

भू-उपयोग *(Land Utilisation)*

राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल वर्ष 2017-19 में 342.87 लाख हेक्टेयर है। इसमें से क्षेत्रवार भूमि एवं प्रतिशत का वर्गीकरण निम्नलिखित हैं-

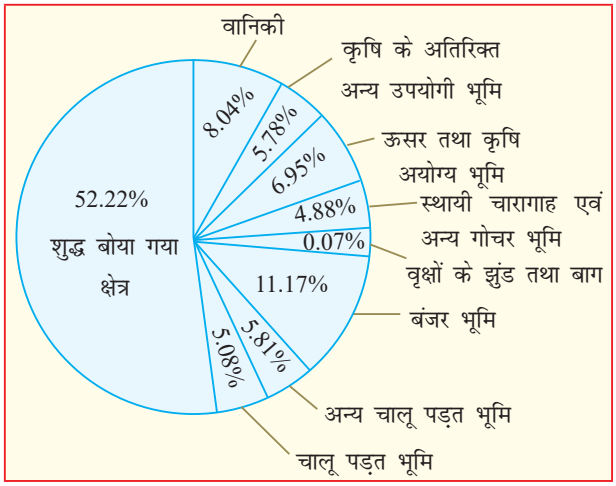

- वानिकी- 8.04 प्रतिशत क्षेत्रफल का यानी 27.56 लाख हेक्टेयर।
- कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि- 5.78 प्रतिशत क्षेत्रफल अर्थात् 19.83 लाख हेक्टेयर।
- ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि- 6.95 प्रतिशत क्षेत्रफल अर्थात् 23.83 लाख हेक्टेयर।
- स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि- 4.88 प्रतिशत क्षेत्रफल यानी कुल 16.73 लाख हेक्टेयर।
- वृक्षों के झुंड तथा बाग- 0.07 प्रतिशत क्षेत्रफल यानी 0.24 लाख हेक्टेयर।
- बंजर भूमि- 11.17 प्रतिशत क्षेत्रफल अर्थात् कुल 38.31 लाख हेक्टेयर।

5 राजस्थान अर्थव्यवस्था : द्वितीयक क्षेत्र
(Rajasthan Economy : Secondary Sector)

'अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र' उस क्षेत्र को कहा जाता है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों को विनिर्माण प्रणाली के जरिये अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। इसे 'औद्योगिक क्षेत्र' भी कहा जाता है। इसमें सूक्ष्म, लघु एवं दीर्घ तीनों स्तर के उद्योग सम्मिलित होते हैं। सूक्ष्म एवं लघु स्तर में जहाँ कपड़े, मोमबत्ती, चमड़ा, हैंडलूम आते हैं, वहीं दीर्घस्तर में स्टील, भारी मशीनरी, रसायन, फर्टिलाइजर, जहाज आदि जैसे उद्योग शामिल होते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था के सकल राज्य घरेलू उत्पाद मे द्वितीयक क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण योगदान है।

उद्योग (Industry)

उद्योगों के विकास से पर्याप्त रोज़गार, आय सृजन एवं जीवन स्तर में सुधार की अपार संभावनाएँ हैं। राजस्थान जैसी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास को गति देने में औद्योगिक विकास एक महत्त्वपूर्ण घटक है। राजस्थान की निवेशक अनुकूल नीतियाँ, शांतिपूर्ण वातावरण, मेहमान-नवाजी, वृहद् प्राकृतिक संसाधन, जिनका दोहन नहीं हुआ है, विश्वस्तर की चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधाओं ने इसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिये पसंदीदा गंतव्य बना दिया है। राजस्थान में औद्योगिक विकास को पुनर्जीवित करने एवं निवेश को आकर्षित करने के लिये राजस्थान सरकार ने संस्थागत तंत्र बनाया है। औद्योगीकरण देश के समग्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण तरीकों में से एक माना जाता है। इसलिये 24 जून, 1978 को राज्य में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी तथा राजस्थान को ईको सिस्टम के साथ भारत में सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभारने हेतु समावेशी, संतुलित, सतत् एवं पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक विकास करने, आधारभूत ढाँचा सृजित करने, रोज़गार के अवसर सृजित करने, संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से राजस्थान औद्योगिक विकास नीति-2019 तैयारी की गई है, जिसे 1 जुलाई, 2019 से लागू किया गया है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने तथा लघु, मध्यम एवं वृहद् उद्योगों के विस्तार तथा उनकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राज्य के विभिन्न विभाग/निगम/एजेंसियाँ अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु कार्यरत हैं।

सकल राज्य मूल्य संवर्द्धन का मूल्य स्थिर (2011–12) कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का योगदान-

स्थिर मूल्य (2011-12) पर राज्य में मूल्यवर्द्धन में उद्योग क्षेत्र		
वर्ष/क्षेत्र	₹ (करोड़ में)	सकल राज्य मूल्यवर्द्धन में प्रतिशत योगदान
2017–18	196066.04	32.94%
2018–19	201065.82	31.59%
2019–20 (अनुमानित)	205040.45	30.67%

विशेषता: उद्योग क्षेत्र में खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं उपचारात्मक सेवाएँ तथा निर्माण क्षेत्र सम्मिलित हैं, का सकल मूल्य संवर्द्धन स्थिर कीमत पर (वर्ष 2011-12) के 32.69 प्रतिशत की तुलना में लगातार कम हुआ है और इसका वर्ष 2019-20 में 30.67 प्रतिशत रहने का अनुमान है हालाँकि इसके मूल्य में वृद्धि हुई है किंतु अन्य क्षेत्रकों की तुलना में वृद्धि दर कम रहने के कारण सकल मूल्यवर्द्धन में भागीदारी कम हुई है।

सकल राज्य मूल्य संवर्द्धन का प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का योगदान-

वर्ष	₹ (करोड़ में)	सकल राज्य मूल्यवर्द्धन में भागीदारी (प्रतिशत में)
2017–18	233147.24	29.50%
2018–19	259513.42	29.09%
2019–20	268968.89	27.81%

प्रचलित मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्द्धन में योगदान वर्ष 2011-12 में 32.69 प्रतिशत था जो 2019-20 में घटकर 27.81 प्रतिशत रहने की संभावना है।

राजस्थान में विनिर्माण क्षेत्र

विनिर्माण क्षेत्र राज्य के जी.एस.वी.ए. में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। इस क्षेत्र का वर्ष 2019-20 में सकल मूल्यवर्द्धन (जी.वी.ए.) लगभग ₹ 94,914 करोड़ है, जिसका राज्य के जी.एस.वी.ए. में 9.82 प्रतिशत का योगदान है। इस क्षेत्र में स्थिर (2011-12) कीमतों पर 2018-19 की तुलना में 2019-20 में 2.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उद्योग विभाग

राज्य में औद्योगिक विकास, हस्तकला के विकास एवं औद्योगिक गतिविधियों के संचालन में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने, उद्योगों को सहायता तथा सुविधाएँ उपलब्ध कराने का दायित्व उद्योग आयुक्तालय का है। वर्तमान में उद्यमियों को इनपुट तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु उद्योग विभाग के अधीन 36 ज़िला उद्योग केंद्र एवं 8 उपकेंद्र कार्यरत हैं।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
(Index of Industrial Production)

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष की तुलना में अर्थव्यवस्था में सामान्य स्तर पर हुई औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि/कमी को दर्शाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक राज्य में औद्योगिक प्रगति का मुख्य सूचक है, जो मासिक आधार पर संकलित किया जाता है। मौजूदा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक श्रृंखला का आधार वर्ष 2011-12 है, जो

6 राजस्थान अर्थव्यवस्था : सामाजिक क्षेत्र विकास
(Rajasthan Economy: Social Sector Development)

राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिये सामाजिक क्षेत्र का विकास सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्ध निवेशों में से एक है। इस दृष्टि से राज्य में सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिये राज्य सरकार भी प्राथमिकता के आधार पर हरसंभव प्रयास कर रही है। सामाजिक गतिविधियों के विकास यथा- शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आवास, शहरी विकास, पेयजल सुविधा आदि में महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल की है।

शिक्षा (Education)

राष्ट्र और व्यक्तियों के कल्याण में सुधार करने में शिक्षा का बहुआयामी योगदान होता है। शिक्षा, सभी मायनों में विकास के महत्त्वपूर्ण अंशदायी कारकों में से एक है। कोई भी देश मानव पूंजी में पर्याप्त निवेश के बिना सतत् आर्थिक और सामाजिक विकास प्राप्त नहीं कर सकता है। शिक्षा, स्वयं और दुनिया के लोगों के प्रति समझ को समृद्ध करती है। उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के माध्यम से शिक्षा व्यक्तियों व समाज को व्यापक सामाजिक लाभ की ओर ले जाती है। शिक्षा, लोगों में उत्पादकता और रचनात्मकता में वृद्धि करती है और उद्यमिता तथा तकनीकी विकास को भी बढ़ावा देती है।

प्रारंभिक शिक्षा *(Primary Education)*

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में राज्य 35,235 राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 19796 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 14898 प्रारंभिक विद्यालय एवं 14898 प्रारंभिक कक्षाओं वाले राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें (2018-19 तक) 62.89 लाख विद्यार्थी नामांकित हैं।

सर्व शिक्षा अभियान *(Sarva Shiksha Abhiyan)*

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्राथमिकता दी गई है। राज्य में 6-14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु एक केंद्र प्रवर्तित योजना 'सर्व शिक्षा अभियान' क्रियान्वित की जा रही है। इसके अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन में जन सहभागिता से सामाजिक, क्षेत्रीय एवं लिंग अंतराल कम करने से संबंधित गतिविधियों को भी सम्मिलित किया गया है।

प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन तथा शिक्षकों की संख्या			उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन तथा शिक्षकों की संख्या	
वर्ष	नामांकित विद्यार्थी (लाखों में)	शिक्षकों की संख्या (लाखों में)	नामांकित विद्यार्थी (लाखों में)	शिक्षकों की संख्या (लाखों में)
2016-17	40.93	1.08	21.96	1.38
2017-18	41.27	1.09	22.14	1.39
2018-19	41.70	1.45	21.20	1.08

राज्य में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, 1 अप्रैल, 2010 से लागू किया गया है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित गतिविधियाँ लागू की गई हैं-

- राज्य में बाल अधिकार संरक्षण के लिये राज्य आयोग का गठन किया गया है।
- इस अधिनियम को राज्य में क्रियान्वित करने के लिये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर राज्य शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में कार्यरत है।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार को सुझाव देने के लिये माननीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में 15 सदस्यों की एक राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया गया है।
- सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन एवं पुनर्गठन किया गया है तथा विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है।

इस अधिनियम में निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटें कमजोर और वंचित समूह के बालक/बालिकाओं के लिये आरक्षित की गई है। वर्ष 2019-20 में 1.94 लाख नए प्रवेशित बच्चों सहित कुल 8.37 लाख बच्चे निजी स्कूलों की नि:शुल्क सीटों पर अध्ययन कर रहे हैं। निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत नि:शुल्क प्रवेश की प्रभावी निगरानी एवं समय पर पुनर्भरण (राज्य सरकार के मापदंडों के आधार पर) के लिये राज्य सरकार द्वारा एक वेबपोर्टल www.rte.raj.nic.in विकसित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा निजी विद्यालयों को वर्ष 2019-20 में (दिसंबर 2019 तक) ₹ 245 करोड़ का पुनर्भरण किया गया है।

बालिका की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं-

- 319 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.) संचालित हैं, इन विद्यालयों में 38,760 बालिकाएँ अध्ययनरत हैं।
- कभी भी नामांकित नहीं हुए एवं बीच में ही विद्यालय छोड़ देने वाली बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नामांकन में प्राथमिकता दी गई है। इन बालिकाओं को कक्षा 6-8 के पाठ्यक्रम को प्रारंभ कर सकने योग्य सघन पाठ्यक्रम से शिक्षित किया जाता है।

7

राजस्थान बजट 2020–21 : विश्लेषण
(Rajasthan Budget 2020-21 : Analysis)

योजनाओं के उद्व्यय 2020-21 के मुख्य बिंदु (Highlights of Schemes/Projects Outlay 2020-21)

आय–व्ययक अनुमान 2020-21 में योजना उद्व्यय अंतर्गत ₹1,10,200.82 करोड़ प्रस्तावित हैं।

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	प्रस्तावित परिव्यय	कुल का प्रतिशत
1.	कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ	9363.89	8.50
2.	ग्रामीण विकास	11878.04	10.78
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	76.20	0.07
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	3620.25	3.28
5.	विद्युत	18505.06	16.79
6.	उद्योग एवं खनिज	951.82	0.86
7.	यातायात	6834.38	6.20
8.	वैज्ञानिक सेवाएँ	12.77	0.01
9.	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएँ	54767.76	49.70
10.	आर्थिक सेवाएँ	1681.87	1.53
11.	सामान्य सेवाएँ	2508.78	2.28
योग		**110200.82**	**100.00**

क्षेत्रवार मुख्य विशेषताएँ

कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ

- कृषि विभाग के लिये ₹2,488.77 करोड़ का प्रावधान, जिसमें सम्मिलित हैं–
  - मौसम आधारित फसल बीमा योजना की राशि ₹1,041.48 करोड़।
  - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु ₹319.50 करोड़।
  - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिये ₹179.29 करोड़।
  - राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना (ई.ए.पी.) हेतु ₹176.00 करोड़।
  - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिये ₹185.00 करोड़।
  - राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन के लिये ₹94.00 करोड़।
  - परंपरागत कृषि विकास योजना के लिये ₹44.67 करोड़।
  - राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन के लिये ₹48.38 करोड़।
- उद्यानिकी विभाग के लिये ₹515.27 करोड़ का प्रावधान, जिसमें सम्मिलित हैं–
  - सोलर पंप सेट के लिये अतिरिक्त सहायता हेतु ₹267.00 करोड़।
  - सूक्ष्म सिंचाई योजना हेतु ₹91.67 करोड़।
  - राष्ट्रीय बागवानी मिशन हेतु ₹90.00 करोड़।
  - सूक्ष्म सिंचाई योजना अंतर्गत ड्रिप सिंचाई स्थापना हेतु अतिरिक्त सहायता के लिये ₹15.78 करोड़।
- पाँच कृषि विश्वविद्यालयों हेतु ₹181.88 करोड़ का प्रावधान।
- कृषि विपणन के लिये ₹105.50 करोड़ का प्रावधान, जिसमें सम्मिलित हैं–
  - भंडारण आधारभूत संरचना निधि के लिये ₹25.50 करोड़।
  - किसान कल्याण निधि के लिये ₹80.00 करोड़।
- पशुपालन के लिये ₹304.73 करोड़ का प्रावधान, जिसमें सम्मिलित हैं:
  - पशु अस्पताल और औषधालय के लिये ₹174.34 करोड़।
  - मुख्यमंत्री पशुधन नि:शुल्क दवा योजना के लिये ₹41.31 करोड़।
  - भेड़ एवं बकरी नस्ल सुधार योजना के लिये ₹7.42 करोड़
  - पशुनस्ल सुधार योजना के लिये ₹20.00 करोड़।
  - पशुपॉली क्लिनिक्स के लिये ₹25.00 करोड़।
  - पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर हेतु ₹91.03 करोड़।
- गोपालन विभाग के लिये ₹713.60 करोड़ का प्रावधान, जिसमें सम्मिलित हैं–
  - गौशालाओं हेतु ₹508.08 करोड़ का अनुदान।
  - मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के लिये ₹200.00 करोड़।
- मत्स्य विभाग के लिये ₹5.14 करोड़ का प्रावधान।
- वानिकी क्षेत्र के लिये ₹172.29 करोड़ का प्रावधान, जिसमें ₹12.06 करोड़ का प्रावधान राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना द्वितीय चरण (बाह्य सहायता प्राप्त) के लिये एवं जलवायु परिवर्तन एवं मरुस्थल विस्तार की रोकथाम योजना के लिये ₹36.77 करोड़ का प्रावधान सम्मिलित।
- सहकारिता के लिये ₹4,755.07 करोड़ का प्रावधान, जिसमें सम्मिलित हैं–
  - कृषि ऋण माफी योजना हेतु ₹4,173.00 करोड़।
  - सहकारी संस्थाओं को ब्याज हेतु अनुदान के लिये ₹540.00 करोड़।
- जलग्रहण विकास एवं मृदा संरक्षण के लिये ₹30.60 करोड़ का प्रावधान।
- महत्त्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य–
  - खाद्यान्न अंतर्गत क्षेत्रफल – 151.75 लाख हैक्टेयर
  - खाद्य फसलों का उत्पादन – 214.17 लाख मै.टन

8 केंद्र व राजस्थान सरकार की योजनाएँ
(Central & Rajasthan Government Schemes)

केंद्र सरकार की योजनाएँ

किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्द्धन योजना (Formation and Promotion of Farmer Producer Organizations)

उद्देश्य

किसानों के लिये 'इकॉनमी ऑफ स्केल' सुनिश्चित करने के लिये 2019-20 से 2023-24 तक पाँच वर्षों की अवधि में 10,000 एफपीओ का गठन किया जाएगा। प्रत्येक एफपीओ को अपनी के स्थापना के 5 वर्षों तक हैंड होल्डिंग समर्थन दिया जाएगा तथा यह वर्ष 2027-28 तक जारी रहेगा।

क्रियान्वयन एजेंसी

प्रारंभ में इसे लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य भी 'कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग' से परामर्श करके अपनी कार्यान्वयन एजेंसी नामित कर सकते हैं।

प्रमुख बिंदु

- लघु और सीमांत किसानों के पास मूल्यवर्द्धन सहित उत्पादन तकनीक, सेवाओं और विपणन को लागू करने के लिये आर्थिक क्षमता नहीं है। एफपीओ के गठन से किसान इकॉनमी ऑफ स्केल का प्रयोग करके इन सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम होंगे।
- यह कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू) के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- एफपीओ का गठन और संवर्द्धन राज्य या क्लस्टर स्तर पर 'क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों' (सीबीबीओ) के माध्यम से किया जाएगा।
- सीबीबीओ के पास निम्न पाँच श्रेणी के विशेषज्ञ होंगे-
  - क्रॉप हज़बंड्री
  - कृषि विपणन/मूल्यवर्धन और प्रक्रिया
  - सोशल मोबिलाइजेशन,
  - कानून
  - अकाउंट्स और आईटी/एमआईएस
- एसएफएसी में एक 'राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी' होगी, जो एकीकृत पोर्टल और सूचना प्रबंधन तथा निगरानी प्रणाली के माध्यम से समग्र परियोजना का दिशानिर्देशन, डेटा संकलन और रखरखाव करेगी।
- एफपीओ में सदस्यों की न्यूनतम संख्या मैदानी क्षेत्र में 300 एवं उत्तर-पूर्व और पहाड़ी क्षेत्रों में 100 होगी।
- एफपीओ गठन के लिये देश के आकांक्षी ज़िलों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा प्रयास किया जाएगा कि इन ज़िलों के प्रत्येक उपखंड में कम-से-कम एक एफपीओ अवश्य स्थापित किया जाए।
- एफपीओ का संवर्धन 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' के तहत किया जाएगा जिससे एफपीओ बेहतर प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग और निर्यात को प्रोत्साहित किया जा सके।
- नाबार्ड में ₹1,000 करोड़ तक का क्रेडिट गारंटी फंड स्थापित होगा जिसमें कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग और नाबार्ड द्वारा बराबर योगदान दिया जाएगा।
- एनसीडीसी में भी ₹500 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड स्थापित किया जाएगा जिसमें डीएसी एंड एफडब्ल्यू और एनसीडीसी द्वारा समान योगदान किया जाएगा।
- उपयुक्त क्रेडिट गारंटी कवर एफपीओ को ऋण देने में वित्तीय संस्थानों के जोखिम को कम करके संस्थागत ऋण के प्रवाह में तेज़ी लाने के लिये स्थापित किया जाएगा।

सुपोषित माँ अभियान (Suposhit Maa Abhiyan)

उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक 'कुपोषण मुक्त भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करना है। यह अभियान गर्भवती महिलाओं और लड़कियों को पोषण सहायता प्रदान करेगा। साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण में योगदान देगा।

प्रमुख बिंदु

- 'सुपोषित माँ अभियान' का मुख्य उद्देश्य नवजात और गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ रखना है।
- इस अभियान की योजना के अनुसार 1000 महिलाओं को 1 महीने के लिये पोषक तत्त्वों से भरपूर भोजन दिया जाएगा।
- इसमें माँ और बच्चे की स्वास्थ्य चिकित्सा जाँच, रक्त, दवा, प्रसव सहित अन्य बातों का ध्यान रखा जाएगा।
- यह अभियान गर्भवती माताओं और लड़कियों की पोषण सहायता से संबंधित है। इस अभियान के माध्यम से न केवल गर्भवती महिलाओं की देखभाल की जाएगी बल्कि नवजात शिशु भी इस योजना का हिस्सा होंगे।
- सुपोषित माँ अभियान में एक परिवार से एक गर्भवती महिला को शामिल किया जाएगा।

खंड B

भारतीय अर्थव्यवस्था

9 भारतीय अर्थव्यवस्था : सामान्य परिचय
(Indian Economy : General Introduction)

अर्थशास्त्र (Economics)

अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि दुर्लभ संसाधनों का किस प्रकार से उपयोग किया जाए कि उनसे व्यष्टि से लेकर समष्टि स्तर पर अधिकाधिक संतुष्टि प्राप्त की जा सके। अर्थशास्त्र की विषय-वस्तु दुर्लभ संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन से इस प्रकार से संबंधित है कि व्यष्टि स्तर पर व्यक्ति अपने आर्थिक लाभों को अधिकतम कर सके तथा समष्टि स्तर पर कोई देश अपने सकल घरेलू उत्पाद को अधिकतम एवं समाज कल्याण को सुनिश्चित कर सके।

एक व्यक्ति के स्तर (व्यष्टि स्तर) पर तथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था एवं राष्ट्र के स्तर (समष्टि स्तर) पर संसाधन सीमित मात्रा में ही पाए जाते हैं एवं इन्हीं सीमित संसाधनों के साथ मनुष्यों द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास किया जाता है। संसाधन केवल दुर्लभ ही नहीं होते बल्कि इनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं, इसलिये संसाधनों को प्रबंधित किया जाना आवश्यक होता है। जैसे- व्यष्टि स्तर पर एक किसान अपनी भूमि पर गेहूँ, चावल, मक्का, दालें या गन्ना उत्पादित कर सकता है। इसी प्रकार समष्टि स्तर पर एक देश की सरकार देश के संसाधनों का रक्षा सामग्रियों के क्रय करने, अवसंरचनात्मक ढाँचे का विकास करने, गरीबों एवं वंचित वर्गों के लिये लोक-कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों को चलाने इत्यादि में उपयोग कर सकती है। अर्थशास्त्र व्यष्टि एवं समष्टि स्तर पर सीमित संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन अथवा कुशलतम उपयोग से संबंधित होता है।

अर्थशास्त्र वह विषय है, जिसके तहत यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज और सरकार किस प्रकार अपने सीमित संसाधनों के द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र एक व्यापक विषय है, जो उत्पादन, उपभोग, बचत, विनियोग, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, रोज़गार के अवसर, जीवन की गुणवत्ता आदि से संबंधित विषयों का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, अर्थात् "अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, जो उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन करता है।"

सामान्य शब्दों में, "अर्थशास्त्र वह विषय है, जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है।" प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'द वेल्थ ऑफ नेशंस' (The Wealth of Nations) में अर्थशास्त्र को 'धन का विज्ञान' कहा है।

अर्थशास्त्र का वर्गीकरण *(Classification of Economics)*

अर्थशास्त्र का वर्गीकरण निम्नलिखित दो आधारों पर किया जा सकता है-

1. व्यष्टि अर्थशास्त्र (Microeconomics)

व्यष्टि अर्थशास्त्र को 'सूक्ष्म अर्थशास्त्र' भी कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की एक इकाई या इकाई के भाग के रूप में अर्थव्यवस्था के छोटे-छोटे पहलुओं अर्थात् व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे- एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म अथवा एक उद्योग, एक बाज़ार इत्यादि। अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म जानकारी किसी व्यक्ति, फर्म, घरेलू कार्य की नीति निर्धारण, यथा- उत्पादन, उपभोग, मूल्य निर्धारण इत्यादि में सहायक होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आंशिक संतुलन से अधिक प्रभावित है, जो आर्थिक क्रिया से संबंधित महत्त्वपूर्ण कारकों से प्रभावित होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अनुकूलतम साधन आवंटन और आर्थिक क्रियाओं, जैसे- मांग और पूर्ति का अध्ययन, मूल्य निर्धारण से संबंधित समस्याओं और नीतियों का अध्ययन होता है।

व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्त्वपूर्ण घटक

- **उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत:** इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार एक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न प्रयोगों में आवंटित करता है, ताकि वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके।
- **उत्पादक व्यवहार सिद्धांत:** इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि उत्पादक यह निर्णय कैसे लेता है कि उसे किस वस्तु का उत्पादन करना है तथा कितना उत्पादन करना है जिससे उसका लाभ अधिकतम हो सके।
- **कीमत सिद्धांत:** 'कीमत सिद्धांत' व्यष्टि अर्थशास्त्र का सबसे महत्त्वपूर्ण घटक है। कीमत सिद्धांत में यह अध्ययन किया जाता है कि बाज़ार में वस्तुओं की कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है।

2. समष्टि अर्थशास्त्र (Macroeconomics)

समष्टि अर्थशास्त्र को 'वृहद् अर्थशास्त्र' भी कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के बड़े पहलुओं अर्थात् संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समुच्चयों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, जैसे- राष्ट्रीय आय, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, सरकारी बजट, आर्थिक संवृद्धि, आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति, गरीबी, बेरोज़गारी इत्यादि। समष्टि अर्थशास्त्र सभी आर्थिक इकाइयों का समग्र अध्ययन एवं विश्लेषण करता है, जिससे आर्थिक प्रणाली का विश्लेषण एवं बड़े पैमाने पर आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। समष्टि अर्थशास्त्र आय, रोज़गार और संवृद्धि संबंधी नीतियों के व्यापक स्तर से संबंधित होता है। समष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आय निर्धारण पर केंद्रित रहता है।

10 राष्ट्रीय आय (National Income)

राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था की एक महत्त्वपूर्ण अवधारणा है, जो नीति-निर्माण एवं कल्याणकारी राज्य की दिशा में प्रमुख भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय आय देश की उत्पादन क्रियाओं की माप होती है। राष्ट्रीय आय की गणना के अंतर्गत प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण के द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने व प्राथमिकताओं को स्थापित करने में सहायता मिलती है। राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण सूचकांक है।

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक निष्पादन की जानकारी का प्रमुख साधन राष्ट्रीय आय है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिये वर्ष 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष पी.सी. महालनोबिस थे।

राष्ट्रीय आय का अर्थ एवं अवधारणा (Meaning and Concept of National Income)

राष्ट्रीय आय से अभिप्राय किसी राष्ट्र की एक वर्ष के दौरान आर्थिक क्रियाओं के परिणामस्वरूप उत्पादित अंतिम 'वस्तुओं एवं सेवाओं' के मौद्रिक मूल्य से होता है। दूसरे शब्दों में, किसी एक लेखा वर्ष की अवधि के अंतर्गत किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाज़ार मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना में देश के निवासियों द्वारा घरेलू सीमा एवं विदेशों से प्राप्त अर्जित आय को सम्मिलित किया जाता है।

राष्ट्रीय आय की अवधारणा *(Concept of National Income)*

- राष्ट्रीय आय में किसी एक समय पर उपलब्ध वस्तुओं के स्टॉक को नहीं, बल्कि किसी समयावधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है।
- राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की बाज़ार कीमत पर गणना की जाती है और एक वस्तु की कीमत एक बार ही शामिल की जाती है, इसलिये अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य ही शामिल किया जाता है, ताकि दोहराव से बचा जा सके।

राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न अवधारणाएँ निम्नलिखित हैं-

सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product–GDP)

किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत नागरिकों एवं गैर-नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष (भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च) में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य के योग को **सकल घरेलू उत्पाद** कहते हैं।

विदेशियों द्वारा पूंजी एवं तकनीकी का जो निवेश भारत के घरेलू क्षेत्र में किया जाता है, उसके मौद्रिक मूल्य को भी सकल घरेलू उत्पाद में शामिल किया जाता है।

सकल घरेलू उत्पाद को निम्नलिखित सूत्र के माध्यम से व्यक्त किया जाता है-

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) = उपभोग (C) + निवेश (I) + सरकारी व्यय (G) + [कुल आयात (X) – कुल निर्यात (M)]

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (Gross National Product–GNP)

किसी देश के नागरिकों द्वारा घरेलू सीमा के अंदर अथवा बाहर एक निश्चित समयावधि, सामान्यत: एक वर्ष, में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को **सकल राष्ट्रीय उत्पाद** कहते हैं।

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) = GDP + X – M

जहाँ X = देशवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित की गई आय

M = विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय

सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) से विस्तृत है। ऐसी स्थिति में GNP का केवल वही भाग GDP में शामिल किया जाता है, जो देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सेवाओं का मूल्य है।

निवल घरेलू उत्पाद (Net Domestic Product–NDP)

जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली मशीन एवं पूंजी के मूल्य में आई गिरावट या मूल्य ह्रास को घटाया जाता है तो उसे निवल घरेलू उत्पाद (NDP) कहते हैं।

निवल घरेलू उत्पाद (NDP) = GDP – मूल्य ह्रास

राष्ट्रीय आय का लेखांकन

राष्ट्रीय आय का लेखांकन अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य, विभिन्न उत्पादन साधनों के बीच राष्ट्रीय आय का अंत:प्रवाह तथा अर्थव्यवस्था के अंतिम उपयोग व्यय के क्रमबद्ध सांख्यिकी वर्गीकरण एवं विश्लेषण से संबंधित है।

निवल राष्ट्रीय उत्पाद (Net National Product–NNP)

जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) में से उत्पादन के दौरान प्रयुक्त मशीन एवं पूंजी के मूल्य में आई गिरावट या मूल्य ह्रास (depreciation) को घटाया जाता है तो उसे निवल राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) कहते हैं।

निवल राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) = GNP – मूल्य ह्रास

बाज़ार कीमत, साधन लागत *(Market Price, Factor Cost)*

बाज़ार कीमत (Market Price)

जिस मूल्य पर क्रेता खरीदने को और विक्रेता बेचने को तैयार हो जाता है, वह उस वस्तु की बाज़ार कीमत कहलाती है।

11 भारत में आर्थिक नियोजन
(Economic Planning in India)

आर्थिक नियोजन (आयोजन) योजनाबद्ध तरीके से किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिये आवश्यक है। आर्थिक नियोजन में सामाजिक नियोजन की अवधारणा स्वत: ही सम्मिलित रहती है। भारत में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के साधन के रूप में नियोजन की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। आर्थिक नियोजन कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने एवं उन्नति के लिये स्वीकार किया गया है।

भारत में आर्थिक विकास की गति को तीव्रतर बनाना नीतिगत कार्यों का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके साथ ही साथ विकास के लिये अनुकूल परिवेश तैयार करना तथा लक्षित कार्यों को नियोजित तरीके से पूर्ण करने के लिये नियोजन अनिवार्य है।

नियोजन : अभिप्राय, रणनीति, आवश्यकता, विशेषताएँ (Planning : Significance, Strategy, Requirement, Features)

नियोजन का अभिप्राय *(Significance of Planning)*

राज्य के नेतृत्व में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ऐसा प्रबंधन जिससे राष्ट्रहित की प्राप्ति हेतु उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग तथा दीर्घकालिक निरंतरता सुनिश्चित हो सके, साथ ही सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये प्राकृतिक, आर्थिक एवं मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से नियंत्रण तथा समन्वय किया जा सके, अवधारणा **नियोजन** कहलाता है।

नियोजन की रणनीति *(Strategy of Planning)*

- संसाधनों का सही वितरण सुनिश्चित करना।
- निर्धनता को समाप्त करना।
- बेरोज़गारी दूर करना।
- आधारभूत अवसंरचना का विकास करना।
- कृषि एवं उद्योग का विकास सुनिश्चित करना।
- सामाजिक न्याय के साथ ही साथ विकास की गति को तीव्र करना।

नियोजन की आवश्यकता *(Requirement of Planning)*

- गरीबी, बेरोज़गारी कम करने के लिये।
- निम्न उपभोग स्तर को बढ़ाने के लिये।
- गरिमाहीन जीवन शैली के उन्नयन हेतु।
- उद्योग एवं व्यापार के अभाव को कम करने के लिये।
- कौशल एवं वित्तीय संसाधनों के अभाव को कम करने के लिये।

नियोजन की विशेषताएँ *(Features of Planning)*

- भारतीय आर्थिक नियोजन का स्वभाव निदेशात्मक है।
- आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने में प्रोत्साहन को वरीयता दी जाती है।
- आर्थिक नियोजन का स्वरूप विकेंद्रीकृत है (सामान्यत: राष्ट्रीय महत्त्व के कुछ महत्त्वपूर्ण विषयों को छोड़कर)।
- इसमें समाजवादी एवं पूंजीवादी तत्त्वों का समन्वय है।
- आर्थिक नियोजन में ढाँचागत और आधारभूत भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया है।

योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद (Planning Commission, National Development Council)

योजना आयोग *(Planning Commission)*

योजना आयोग का भारतीय संविधान (Indian Constitution) में कोई उल्लेख नहीं था। इसका गठन एक परामर्शदात्री (Advisory) तथा विशेषज्ञ (Specialist) संस्था के रूप में सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 1950 में किया गया था। इसके स्वरूप और संगठन में आवश्यकतानुसार समय-समय पर परिवर्तन किया गया और अंततोगत्वा इसे समाप्त कर दिया गया। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। अध्यक्ष की सहायता के लिये पाँच पूर्णकालिक सदस्य (Full time members) मनोनीत किये गए। आयोग के सदस्यों एवं उपाध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता था और न ही सदस्यों के लिये कोई निश्चित योग्यता (Certain eligibility) होती थी। प्रधानमंत्री ही इसके पदेन अध्यक्ष (Chairman) होते थे और इसके अतिरिक्त एक उपाध्यक्ष (Deputy Chairman) की नियुक्ति भी की जाती थी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग के सदस्यों की संख्या सरकार की इच्छानुसार परिवर्तित होती रहती थी। योजना आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित थे-

- देश के भौतिक (Physical), पूंजीगत (Capitalistic) एवं मानवीय संसाधनों (Human resources) का अनुमान लगाना।
- राष्ट्रीय संसाधनों (National resources) के अधिक से अधिक प्रभावी (Maximum effective) एवं संतुलित उपयोग (Balanced utilization) के लिये योजनाएँ तैयार करना।
- योजना के विभिन्न चरणों का निर्धारण करना एवं प्राथमिकता के आधार पर संसाधनों के आवंटन का प्रस्ताव करना।
- आर्थिक विकास में बाधक तत्त्वों/कारकों (Disturbing elements/factors) को इंगित करना एवं उन व्यवस्थाओं का निर्धारण करना जो वर्तमान सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों (Social and political situations) में योजना के कार्यान्वयन के लिये आवश्यक हैं।
- योजना के प्रत्येक चरण के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्राप्त सफलता की नियमित समीक्षा करना एवं सुधारात्मक सुझाव (Reformative suggestions) देना। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा विशेष समस्या/समस्याओं पर राय मांगने पर अपनी सलाह देना।

12 समावेशी विकास तथा सामाजिक समावेशन
(Inclusive Development and Social Inclusion)

प्रत्येक व्यक्ति समाज में समतापूर्ण व्यवहार की अपेक्षा करता है। भारतीय समाज में कई ऐसे वर्ग हैं, जो समाज की मुख्यधारा से बहिष्कृत हैं, जैसे- दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, विकलांग, घुमंतू जातियाँ, महिलाएँ, गरीब, किन्नर एवं शरणार्थी। इन समूहों को समाज की मुख्यधारा में लाना ही सामाजिक समावेशन कहलाता है जिससे समाज का प्रत्येक व्यक्ति विकास की पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

समावेशी विकास एवं सामाजिक समावेशन एक-दूसरे से घनिष्ठता के साथ जुड़े हैं। जहाँ **समावेशी विकास** अंतिम व्यक्ति तक विकास के वितरण को सुनिश्चित करने से संबंधित है, वहीं **सामाजिक समावेशन** समाज के अंतिम व्यक्ति को भी वही महत्त्व दिये जाने की वकालत करता है, जो प्रथम व्यक्ति को प्राप्त है। समावेशी विकास में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक सभी पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक समावेशन समावेशी विकास का प्रमुख आधार है। समाज में सामाजिक अपवंचन से मुक्ति समावेशी विकास एवं सामाजिक समावेशन के द्वारा ही संभव है।

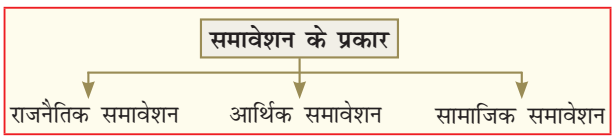

समावेशी विकास (Inclusive Development)

समावेशी विकास का आशय आर्थिक विकास की एक ऐसी अवधारणा से है, जिसमें विकास का लाभ समाज के सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त हो, कोई भी वर्ग विकास से वंचित न रह जाए अर्थात् समान अवसरों के साथ-साथ विकास करना ही समावेशी विकास है।

भारत सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में **समावेशी विकास** का व्यापक रूप से उपयोग किया। विकास प्रक्रिया को समावेशी बनाने हेतु क्षेत्रीय, सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं को दूर करने हेतु प्रभावी तथा संपोषणीय नीतियाँ एवं कार्यक्रम बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, इसीलिये बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) की अवधारणा का केंद्र बिंदु तीव्रतर, धारणीय और अधिक समावेशी विकास रखा गया।

योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य मानव विकास तथा व्यक्तियों द्वारा जीवन यापन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना होता है। गरीब एवं हाशिये पर रह रहे लोगों के विकास पर बल, बेहतर रहन-सहन का वातावरण, अवसरों का अधिकतम समान वितरण करने की आवश्यकता है। महिलाओं को केंद्र में रखकर उनके सशक्तीकरण पर बल देते हुए उनकी शिक्षा एवं रोज़गार की ओर ध्यान देना आवश्यक है।

जनसंख्या का बड़ा हिस्सा विशेषकर, भूमिहीन कृषि श्रमिक, सीमांत कृषक, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, घुमंतू जातियाँ और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग सामाजिक और वित्तीय समस्याओं तथा अपवर्जन से जूझ रहे हैं। ऐसे वर्ग के लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिये सरकार अपनी नीतियों में विशेष उपबंध की व्यवस्था करती है। समावेशी विकास में आर्थिक विकास की ऊँची वृद्धि दर से प्राप्त लाभ के समान वितरण को शामिल किया जाता है।

समावेशी विकास स्थापित करने के महत्त्वपूर्ण घटक *(Important Components to Establish Inclusive Development)*

- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी सामान्य एवं कमज़ोर वर्ग के बेरोज़गारों के लिये विशेष उपबंध करना। रोज़गार में वृद्धि को विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ना।
- आधारभूत आवश्यक वस्तुओं तक सबकी पहुँच सुनिश्चित करना।
- कृषि तथा ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करना, ताकि इस क्षेत्र में निवेश तथा आय में वृद्धि सुनिश्चित हो सके।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा एवं आवास पर अधिक सार्वजनिक व्यय हो।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों तथा कमज़ोर वर्गों, निर्धनों, महिलाओं एवं बच्चों का आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण।
- वित्तीय समावेशन की गति को तीव्र करना।

समावेशी संवृद्धि (Inclusive Growth)

समावेशी संवृद्धि का अभिप्राय आर्थिक संवृद्धि की एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त हों। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) में समावेशी संवृद्धि को लेकर एक स्पष्ट रणनीति सरकार द्वारा पेश की गई। इसके अंतर्गत वंचित समूहों विशेष रूप से अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग एवं महिलाओं को विकास और संवृद्धि की प्रक्रिया में शामिल किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 'तीव्रतर, धारणीय और अधिक समावेशी विकास' था। इस कारण समावेशी संवृद्धि विषय को इस योजना में और अधिक महत्त्व मिला।

सरकार द्वारा समय-समय पर समावेशी संवृद्धि के लिये अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक नीतियाँ बनाई गईं। अल्पकालिक नीतियों में सरकार द्वारा खाद्य और पोषाहार, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेयजल तथा शिक्षा संबंधी नीतियाँ सम्मिलित की गईं, परंतु इन अल्पकालिक योजनाओं से सरकार पर धन का भारी बोझ पड़ा, जिस कारण लक्षित समूहों के आत्मनिर्भर बनाने का मुख्य लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

13

कृषि
(Agriculture)

भारत एक कृषि-प्रधान देश है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आजीविका का एक महत्त्वपूर्ण साधन है। स्वतंत्रता से पूर्व आय के साधन के रूप में कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। 2011 जनगणना के अनुसार देश की अबादी का 54.6 प्रतिशत कृषि एवं इससे जुड़ी गतिविधियों में लगा है। आर्थिक सर्वेक्षण, 2019–20 की रिपोर्ट के अनुसार सकल मूल्यवर्द्धन में कृषि का योगदान 16.5 प्रतिशत है। वर्ष 1950–51 में यह हिस्सा लगभग 51% था। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से देखें तो कृषि की भागीदारी उद्योग तथा सेवा क्षेत्र की तुलना में कम है। खाद्यान्न उत्पादन जहाँ 1951–52 में मात्र 52 मिलियन टन था, वहीं 2019–20 में यह बढ़कर 291.95 मिलियन टन हो गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में विकास दर लगभग 4.72% थी वहीं नौवीं, दसवीं एवं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास दर क्रमशः 2.44%, 2.3%, 3.3% रही थी। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर का लक्ष्य 4% रखा गया था।

आर्थिक विकास में कृषि का योगदान (Contribution of Agriculture in Economic Development)

कृषि क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महत्त्वपूर्ण योगदान है। वित्तीय वर्ष 1950–51 में यह लगभग 51 प्रतिशत था तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 में यह लगभग 14.2 प्रतिशत रह गया। राष्ट्रीय आय के आकलन की नई शृंखला (आधार वर्ष 2011–12) के आधार पर 2016–17 में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का सकल मूल्य संवर्द्धन (GVA) में योगदान 17.4% था। जबकि वर्ष 2019–20 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा कुल जी.वी.ए. (वर्तमान कीमतों पर) में 16.5% होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। सकल मूल्य संवर्द्धन में कृषि के प्रतिशत योगदान में कमी अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्त्व में गिरावट को नहीं दर्शाती है, अपितु यह केवल अर्थव्यवस्था के द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों की सापेक्षिक तीव्र वृद्धि को दर्शाती है।

कृषि का विभिन्न क्षेत्रों में योगदान उल्लेखनीय है-

- **रोज़गार:** भारत में कृषि रोज़गार का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। भारत में आज भी लगभग 50% कार्यशील जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत है।
- **बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये खाद्यान्नों की आपूर्ति:** भारतीय जनसंख्या के अगले दो दशक में ही विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या बनने का अनुमान है। अतः इतनी बड़ी आबादी के लिये खाद्यान्न की वृहत् मात्रा में जरूरत पड़ेगी। इसकी आपूर्ति हेतु मौजूदा खाद्यान्न को मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों रूपों से बेहतर करना होगा।
- **औद्योगिक विकास के लिये कृषि क्षेत्र का महत्त्व:** कच्चे माल के आपूर्तिकर्त्ता के रूप में कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र की संवृद्धि के लिये मुख्य रूप से महत्त्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र के द्वारा औद्योगिक कच्चे मालों, जैसे- कपड़ा उद्योग को कपास, तेल उद्योग को तेल बीजों, चीनी उद्योग को गन्ने की आपूर्ति की जाती है। यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कृषि उत्पादों के रूप में कच्चा माल उपलब्ध कराता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्त्वपूर्ण योगदान:** कृषि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी महत्त्वपूर्ण योगदान देती है। भारत चाय, जूट, काजू, तंबाकू, कॉफी और मसाले आदि का निर्यात करता है। ये सभी कृषि वस्तुएँ भारत के कुल निर्यातों का एक बड़ा प्रतिशत साझा करती हैं।
- **गरीबी उन्मूलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका:** भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में आधी से अधिक श्रम शक्ति कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। कृषि आज भी निम्न आय वर्ग एवं निर्धन व्यक्तियों का जीवन आधार है। कृषि क्षेत्र खाद्य सुरक्षा का मुख्य अस्त्र है।
- **पूंजी निर्माण में सहयोग:** भारत में पूंजी निर्माण प्रक्रिया में कृषि क्षेत्र का सहयोग आवश्यक है। कृषि उत्पादों के उत्पादन के रूप में तथा गैर-कृषि उत्पादों की मांग के रूप में भारत में कृषि का केंद्रीय स्थान है। गैर-कृषि उत्पादों की मांग के महत्त्वपूर्ण स्रोत होने के रूप में कृषि अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में निवेश को प्रेरित करती है। अतः स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि का महत्त्वपूर्ण योगदान है क्योंकि कृषि देश की रीढ़ है।

भारतीय कृषि की विशेषताएँ (Characteristics of Indian Agriculture)

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की 'रीढ़ की हड्डी' मानी जाती है। कृषि एक धुरी के समान है जिसके चारों ओर भारतीय अर्थव्यवस्था गतिमान रहती है। भारत में वित्तीय वर्ष 2019-20 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का सकल मूल्य संवर्द्धन में लगभग 16.5% का योगदान रहता है। कृषि पर देश की लगभग 16.5% कार्यकारी जनसंख्या आश्रित है। मूल रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

- **भारतीय कृषि मानसून पर आधारित:** भारतीय कृषि की मानसून पर निर्भरता अधिक होने के कारण इसे 'मानसून का जुआ' भी कहा जाता है। कुल कृषि क्षेत्र की बुआई का लगभग 52% आज भी असिंचित और वर्षा-पोषित है।
  - सर्वाधिक सिंचित राज्य पंजाब है, जहाँ 99.60% कृषि क्षेत्र सिंचित है।
  - सर्वाधिक सिंचित फसल गन्ना माना जाता है।
  - देश में सबसे कम सिंचित प्रतिशत वाला राज्य असम है। यहाँ लगभग 5.54% क्षेत्रफल पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है।

14 उद्योग एवं सेवा क्षेत्र
(Industry and Service Sector)

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिये औद्योगीकरण एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। औद्योगीकरण से अर्थव्यवस्था के ढाँचे में व्यापक एवं दीर्घकालीन परिवर्तन आता है। औद्योगीकरण किसी राष्ट्र की प्रगति एवं संपन्नता का आधार ही नहीं, वरन् उसके विकास का मापदंड भी माना जाता है। तीव्र आर्थिक विकास के लिये विकासशील एवं अल्प विकसित राष्ट्रों में औद्योगीकरण को अधिक महत्ता दी जाती है।

प्राचीनकाल में भारत शिल्प, वस्त्र, रत्न-आभूषण एवं मसालों आदि के लिये प्रसिद्ध था, परंतु ब्रिटिशकाल के दौरान भारतीय उद्योग पूर्णत: गर्त में चला गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे देश में उद्योगों के महत्त्व को दृष्टिगत रखते हुए तीव्र औद्योगीकरण हेतु योजनाबद्ध ढंग से प्रयास किये गए। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आधुनिक उद्योगों की स्थापना की गई।

नब्बे के दशक में आर्थिक मंदी का सामना करने के लिये भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों हेतु नई आर्थिक नीति को अपनाया। नई आर्थिक नीति के द्वारा भारत में औद्योगीकरण को नई दिशा एवं दशा मिली है।

औद्योगीकरण : आशय एवं उत्पादन के क्षेत्र (Industrialization : Meaning and Sector of Production)

औद्योगीकरण का आशय राष्ट्रीय उत्पादन तथा निवेश के ढाँचे में उद्योगों की बहुलता से है, जिससे सकल घरेलू उत्पाद तथा श्रमशक्ति के प्रयोग हेतु औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ जाए। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है, जिसमें धीरे-धीरे सामान्यतया राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद में कृषि का अंश कम होता जाता है तथा औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है।

दूसरे शब्दों में, प्राथमिक उत्पादों को द्वितीयक उत्पादों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को औद्योगीकरण कहते हैं। यह कार्य विनिर्माण क्षेत्र द्वारा किया जाता है। इसके लिये उद्योगों में निवेश अत्यंत आवश्यक है। औद्योगीकरण द्वारा राष्ट्रीय उत्पादन में, उद्योगों के उत्पादन में बहुलता एवं सकल घरेलू उत्पादन में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ाया जाता है।

उत्पादन की प्रकृति के आधार पर उत्पादन क्रियाओं को तीन क्षेत्रों में बाँटा जाता है-

- **प्राथमिक क्षेत्र (Primary sector):** नैसर्गिक संसाधनों के प्रत्यक्ष दोहन द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उन्हें 'प्राथमिक वस्तुएँ' कहते हैं तथा ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न संस्थागत संरचना को 'प्राथमिक क्षेत्र' कहते हैं।
- **द्वितीयक क्षेत्र (Secondary sector):** प्राथमिक वस्तुओं में एक या कई बार मूल्यवर्द्धन द्वारा जिन नई वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उन्हें 'द्वितीयक वस्तुएँ' कहा जाता है तथा ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न संस्थागत संरचना को 'द्वितीयक क्षेत्र' कहते हैं।
- **तृतीयक क्षेत्र (Tertiary sector):** अदृश्य सेवाओं को 'तृतीयक वस्तुएँ' कहते हैं तथा ऐसी सेवाओं के उत्पादन में संलग्न संस्थागत संरचना को 'तृतीयक क्षेत्र' कहते हैं।

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (C.S.O.) द्वारा उत्पादन क्षेत्रों का किया गया वर्गीकरण निम्नलिखित है-

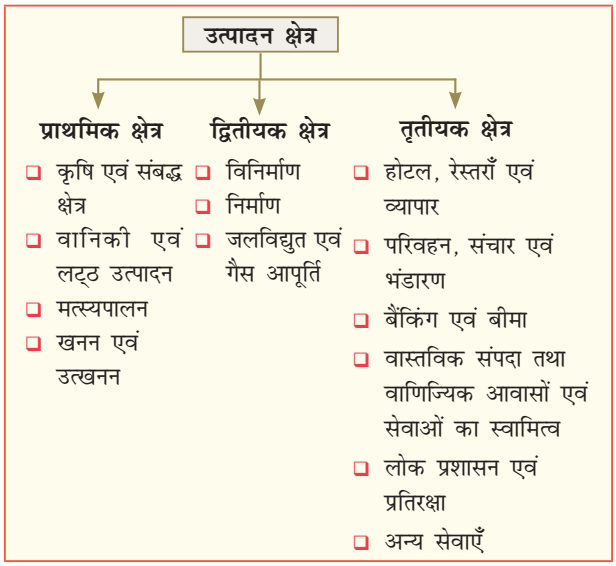

भारतीय औद्योगिक नीति (Indian Industrial Policy)

प्राचीनकाल में भारत अपने कुटीर उद्योगों, शिल्प, रत्न-आभूषण, कलात्मक वस्तुओं तथा मसालों आदि के उत्पादन के लिये जाना जाता था। भारतीय मलमल, सूती एवं रेशमी वस्त्र, सूती छपे हुए वस्त्र, कलात्मक वस्तुएँ आदि की विश्व में बहुत मांग थी, किंतु इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ने भारत के परंपरागत हस्तशिल्पों को बर्बाद कर दिया। ब्रिटिशकाल में भारत से कच्चे माल का निर्यात इंग्लैंड को किया जाने लगा तथा विनिर्मित सामान के भारत में आने के कारण यहाँ के परंपरागत कुटीर उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

औद्योगिक नीति, 1948 *(Industrial Policy, 1948)*

6 अप्रैल, 1948 को स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति प्रस्तुत की गई, इसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों पर बल दिया गया। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री) इसके प्रस्तुतकर्त्ता थे।

उद्योगों की श्रेणियाँ: इस नीति के अंतर्गत उद्योगों की निम्नलिखित चार श्रेणियाँ बनाई गई हैं-

15 बैंकिंग, वित्तीय प्रणाली एवं मुद्रास्फीति
(Banking, Financial System and Inflation)

वित्तीय बाज़ार (Financial Market)

वित्तीय बाज़ार एक व्यापक बाज़ार है, जहाँ पर अनेक वित्तीय उत्पादों एवं परिसंपत्तियों, जैसे-मुद्राओं, शेयर, बॉण्ड्स, डेरिवेटिव्स और अन्य वित्तीय विपत्रों एवं वित्तीय उपकरणों का क्रय-विक्रय किया जाता है। वित्तीय बाज़ार का प्राथमिक कार्य पूंजी के आधिक्य वाले क्षेत्रों से पूंजी की कमी वाले क्षेत्रों की ओर पूंजी का गतिशीलन सुनिश्चित करना है। वित्तीय प्रणाली से आशय वित्तीय बाज़ार में उपस्थित वित्तीय संस्थाओं से है जो अर्थव्यवस्था में बचत को बढ़ाने तथा उसके कुशलतम प्रयोग की ओर गतिशीलता बढ़ाने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।

वित्तीय बाज़ार के दो प्रमुख अंग होते हैं-

1. मुद्रा बाज़ार (Money Market)
2. पूंजी बाज़ार (Capital Market)

मुद्रा बाज़ार *(Money Market)*

'मुद्रा बाज़ार' एक ऐसा बाज़ार होता है जहाँ पर विभिन्न मौद्रिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियों का अल्पकाल (सामान्यतया एक वर्ष की अवधि) के लिये क्रय-विक्रय किया जाता है। मुद्रा बाज़ार में भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता एवं मुद्रा की मात्रा एवं प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। भारत में मुद्रा बाज़ार को दो भागों में बाँटा जा सकता है-1. संगठित/औपचारिक मुद्रा बाज़ार, 2. असंगठित/अनौपचारिक मुद्रा बाज़ार।

भारतीय रिज़र्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है इसलिये मुद्रा बाज़ार को विनियमित करने का उत्तरदायित्व इसका ही है। भारतीय रिज़र्व बैंक मुद्रा बाज़ार में तरलता एवं मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने के साथ-साथ प्रमुख नीतिगत दरों का भी निर्धारण करता है। यह भारत में बैंकिंग संरचना का निर्धारण करता है एवं बैंकों के संचालन के लिये नियम-विनियम बनाता है, महत्त्वपूर्ण ब्याज़ दरों का निर्धारण कर मुद्रा के प्रवाह को एक दिशा देता है एवं मुद्रास्फीति एवं मुद्रा अवस्फीति की समस्या का समाधान करते हुए अर्थव्यवस्था में संतुलनकारी स्थिति बनाए रखता है।

भारत में संगठित मुद्रा बाज़ार के तीव्र विस्तार के बावजूद आज भी असंगठित क्षेत्र विद्यमान हैं। असंगठित मुद्रा बाज़ार में देशी बैंकर्स, महाजन, साहूकार, सेठ, चेट्टी इत्यादि प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

पूंजी बाज़ार *(Capital Market)*

'पूंजी बाज़ार' से आशय ऐसे वित्तीय बाज़ार से है जहाँ वित्तीय प्रतिभूतियों एवं संपत्तियों का मध्यम एवं दीर्घकाल (सामान्यतया एक वर्ष से अधिक) के लिये क्रय-विक्रय किया जाता है। पूंजी बाज़ार पूंजी एवं बचत आधिक्य वाले क्षेत्रों से पूंजी निकालकर उन क्षेत्रों तक पूंजी पहुँचाता है जहाँ पूंजी की मांग एवं कमी है। इस प्रकार पूंजी बाज़ार अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में बचत में वृद्धि करने एवं पूंजी के प्रवाह को उत्पादक क्षेत्रों की ओर निर्देशित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूंजी बाज़ार को दो बाज़ारों में बाँटा जाता है- 1. प्राथमिक पूंजी बाज़ार, 2. द्वितीयक पूंजी बाज़ार।

मुद्रा (Money)

मुद्रा अर्थव्यवस्था का आधार होती है, जिसके ज़रिये वस्तुएँ एवं सेवाएँ खरीदी एवं बेची जाती हैं। मुद्रा को उस वस्तु के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में समाज द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार किया जाए, जो लेखा (Account) की इकाई के रूप में कार्य कर सकती है, क्रय शक्ति का संचय कर सकती है और जिसे ऋण चुकाने के लिये प्रयोग किया जा सकता है। प्रारंभिक भारतीय समाज में मुद्रा के रूप में वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन प्रारंभ हुआ। परंतु औद्योगीकरण व नगरीकरण के विकास ने मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी अर्थात कागज़ के नोटों को मुद्रा विनिमय का माध्यम बनाया। अमेरिकी अर्थशास्त्री फ्राँसिस ए.वॉकर के अनुसार, **"मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे।" ("Money is what money does".)**

मुद्रा के कार्य *(Functions of Money)*

मूल्य का मापक

मुद्रा ही वह इकाई है, जिसके रूप में सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप की जाती है। प्रत्येक वस्तु और सेवा का यही मूल्य उसकी कीमत कहलाता है। चूँकि कीमत मौद्रिक इकाई में व्यक्त की जाती है, इस कारण वस्तु का मूल्य भी मौद्रिक रूपों में ही व्यक्त किया जाता है।

विनिमय का माध्यम

मुद्रा विनिमय या भुगतान के माध्यम का कार्य करती है। चाहे कोई वस्तु खरीदनी हो या सेवा प्राप्त करनी हो, उसका भुगतान हम मुद्रा के माध्यम से करते हैं। मुद्रा की सहायता से किसी वस्तु एवं सेवा का क्रय-विक्रय आसानी से किया जा सकता है।

स्थगित भुगतानों की माप

मुद्रा से भविष्य में होने वाले भुगतानों की इकाई का काम भी लिया जा सकता है। अनेक अवस्थाओं में किन्हीं कार्यों आदि का भुगतान बहुत बाद में होता है जैसे कि पेंशन, मूलधन और ब्याज़ आदि का भुगतान। मुद्रा का मूल्य तुलनात्मक दृष्टि से स्थिर रहता है और यह अन्य वस्तुओं की तुलना में टिकाऊ होता है। ऋण और उधार में भी भविष्य में भुगतान के लिये मुद्रा को ही स्वीकार किया जाता है।

16 लोक वित्त, राजकोषीय नीति एवं बजट व्यवस्था
(Public Finance, Fiscal Policy and Budget System)

लोक वित्त (Public Finance)

लोकवित्त अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो सरकार के आय-व्यय का अध्ययन करती है अर्थात् लोक वित्त का संबंध केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार के आय एवं व्यय से होता है। लोक वित्त का संबंध लोक सत्ताओं की वित्तीय व्यवस्था के विज्ञान एवं कला से होता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने लोक वित्त को भिन्न-भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है।

डॉ. डाल्टन के अनुसार, "लोक वित्त उन विषयों में से एक है जो अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र की सीमा रेखा पर स्थित है। इसका संबंध लोक सत्ताओं के आय-व्यय तथा उनके पारस्परिक समायोजन और समन्वय से है।

प्रो.सी.एल. बैस्टेल के अनुसार, 'लोकवित्त राज्य की लोक सत्ताओं के आय-व्यय, उनके पारस्परिक संबंध, वित्तीय प्रशासन एवं नियंत्रण का अध्ययन करता है। समग्रता से लोक वित्त मूल रूप से सरकारों के आय-व्यय से संबंधित है तथा सरकारों का अर्थ केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा स्थानीय सरकारों से है। वर्तमान में लोक वित्त का क्षेत्र अधिक व्यापक हो गया है, इसके अंतर्गत सरकार के आय-व्यय के अतिरिक्त वित्तीय प्रशासन, लेखा निरीक्षण, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एवं वित्तीय नियंत्रण आदि कार्यों को भी सम्मिलित किया जाता है।

लोक वित्त की विषय-सामग्री
(Subject Matter of Public Finance)

लोक वित्त के विभिन्न पहलुओं की विवेचना इतिहास में भी मिलती है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक 'Wealth of Nation' (1776) के खंड 5 में लोक वित्त के विभिन्न अंगों का विश्लेषण किया है। इस खंड में तीन अध्याय हैं जो क्रमशः सरकार के व्यय, सरकार के राजस्व तथा लोक ऋण का विवेचन करते हैं। लोक वित्त अर्थशास्त्र का वह भाग है जो किसी देश की वित्त व्यवस्था तथा उससे संबंधित प्रशासनिक एवं अन्य समस्याओं का अध्ययन करता है और अंततः इसका उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास की गति को बनाए रखना होता है। लोक वित्त के अध्ययन को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है।

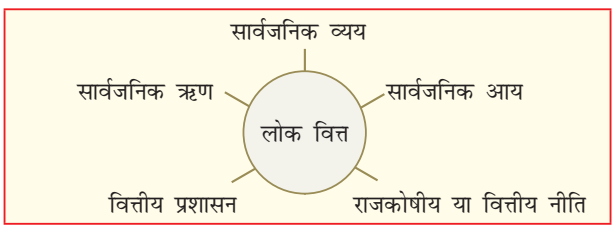

- **सार्वजनिक व्यय (Public Expenditure):** इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि सार्वजनिक व्यय किन-किन मदों पर करना आवश्यक है? सार्वजनिक व्यय का स्वरूप एवं परिणाम क्या हो? सार्वजनिक व्यय करते समय किन-किन नियमों एवं सिद्धांतों का पालन किया जाए?
- **सार्वजनिक आय (Public Revenue):** इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि सरकार अपनी आय किन-किन स्रोतों से प्राप्त करती है। इसमें आय के विभिन्न स्रोतों का विश्लेषण, वर्गीकरण, साधनों की गतिशीलता तथा उनके सापेक्षिक महत्त्व एवं सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त आय के इन स्रोतों का देश के उपभोग, उत्पादन वितरण, बचत तथा विनियोग पर क्या प्रभाव पड़ा है, का भी अध्ययन किया जाता है।
- **सार्वजनिक ऋण (Public Debt):** इस भाग के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि सार्वजनिक ऋण क्यों और किस उद्देश्य हेतु लिये जाते हैं। किन सिद्धांतों के आधार पर सार्वजनिक ऋणों को प्राप्त किया जाता है तथा इन ऋणों का भुगतान किस प्रकार किया जाता है?

  सार्वजनिक ऋण किसी भी वित्तीय वर्ष में बजेटरी व्यवहारों से उत्पन्न राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिये आंतरिक एवं बाहरी स्रोतों से प्राप्त किये गए ऋण को कहते हैं।

  वर्तमान में भारतीय बजेटरी व्यवहार के अनुसार केंद्र सरकार के सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत तीन प्रकार की देयताएँ आती हैं।

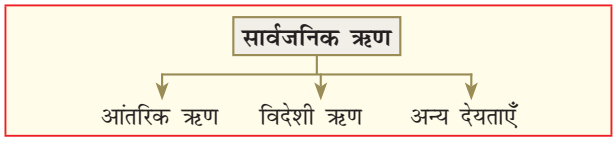

- **वित्तीय प्रशासन (Financial Administration):** इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि सरकार किस प्रकार से वित्तीय क्रियाओं का प्रबंधन करती है। इसमें बजट निर्माण की प्रक्रिया, उद्देश्यों एवं संरचना का विश्लेषण किया जाता है। इसमें घाटे के बजट एवं आधिक्य के बजट का विश्लेषण किया जाता है।
- **राजकोषीय नीति (Fiscal Policy):** लोक वित्त के एक भाग के रूप में राजकोषीय नीति के महत्त्व को आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने स्वीकार किया है। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिये इसका सहारा लिया जाता है। इसके द्वारा देश में उत्पादन क्रियाओं को नियमित करके, राष्ट्रीय आय के वितरण को न्यायपूर्ण बनाकर तथा कीमतों में स्थिरता लाकर आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

17

लेखांकन
(Accounting)

आधुनिक परिदृश्य में मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्र एवं रूप बहुत अधिक विस्तृत हो गया है। इन आर्थिक क्रियाओं के संचालन के लिये यह आवश्यक होता है कि उससे संबंधित लाभ-हानि, सफलता-असफलता एवं स्थिति का ज्ञान हो। इसके लिये पुस्तपालन (बहीखाता) तथा लेखांकन (Book-Keeping and Accounting) की प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। आज के तेज़ी से बदलते व्यावसायिक वातावरण ने लेखांकन प्रक्रिया को और अधिक महत्त्वपूर्ण बना दिया है।

पुस्तपालन का अर्थ (Meaning of Book-keeping)

पुस्तपालन का अर्थ: व्यवसाय के वित्तीय व्यवहारों को लेखा पुस्तकों (Books of Accounts) में दर्ज (Recording) करने से है। पुस्तपालन लेखांकन प्रणाली का पहला भाग है। इसके अंतर्गत उन सभी व्यावसायिक व्यवहारों, जिनका वित्त से संबंध है और जिनका मौद्रिक मूल्यांकन किया जा सकता है, को प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में लिखा जाता है। जे.आर. बाटलीबाय ने पुस्तपालन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि "Book-keeping is an art of recording business dealings in a set of books." अर्थात् व्यावसायिक लेन-देनों को लेखा पुस्तकों में दर्ज करने की एक कला पुस्तपालन है। संक्षेप में पुस्तपालन के अंतर्गत-

- व्यवसाय के उन वित्तीय लेन-देनों एवं घटनाओं की पहचान की जाती है जिनका मुद्रा (Money) के रूप में मूल्यांकन किया जा सकता है। गैर वित्तीय एवं जिन व्यवहारों का मुद्रा में मूल्यांकन संभव नहीं है, वे व्यवहार पुस्तपालन की विषय वस्तु नहीं होते।
- पहचाने गए व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में लिखा जाता है एवं उनका वर्गीकरण करते हुए खाताबही (Ledger) में खताया (Posting) जाता है।

पुस्तकालय का कार्य एक नैत्यक (routine) कार्य है एवं यह कार्य व्यवसाय के कम कार्यकुशल व्यक्तियों अथवा लिपिकों द्वारा किया जा सकता है। इस कार्य में विशेष कुशलता एवं योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार पुस्तपालन लेखांकन प्रणाली की प्रारंभिक सीढ़ी है।

लेखांकन का अर्थ (Meaning of Accounting)

लेखांकन संगठन की आर्थिक घटनाओं को पहचानने, मापने और लिखकर रखने की ऐसी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से सूचनाओं से संबंधित आँकड़े उपयोगकर्त्ताओं तक संप्रेषित किये जा सकें। दूसरे शब्दों में, "व्यापारिक परिणामों को जानने के लिये लेखों का संग्रहण करने, वर्गीकृत करने तथा सारांश तैयार करने संबंधित कार्य को **लेखांकन** कहा जाता है।"

वर्ष 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक एकाउटेंट्स (American Institute of Certified Public Accountants – AICPA) ने लेखांकन की परिभाषा इस प्रकार दी है– "लेखांकन का संबंध उन लेन-देनों एवं घटनाओं, जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं, मुद्रा के रूप में प्रभावशाली रूप से लिखने, वर्गीकृत करने, संक्षेप में व्यक्त करने एवं उनके परिणामों की विश्लेषणात्मक व्याख्या करने की कला से है।"

उत्तरोत्तर आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप लेखांकन की भूमिका एवं क्षेत्र का भी विस्तार हुआ है। वर्ष 1966 में अमेरिकन एकाउंटिंग एसोसिएशन (AAA) ने लेखांकन को इस प्रकार परिभाषित किया– "लेखांकन आर्थिक सूचनाओं को पहचानने, मापने और संप्रेषित करने की एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके आधार पर सूचनाओं के उपयोगकर्त्ता तर्कयुक्त निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।"

1970 में एकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ ए.आई.सी.पी.ए. ने कहा कि लेखांकन का कार्य मुख्य रूप से आर्थिक इकाइयों के संबंध में ऐसी गुणात्मक सूचनाएँ उपलब्ध कराना है, जो प्रमुख रूप से वित्तीय प्रकृति की होती हैं और जो आर्थिक निर्णय लेने में उपयोगी होती हैं।

लेखांकन की प्रारंभिक प्रक्रियाओं में निम्नलिखित तीन को सम्मिलित किया जाता है–

अभिलेखन (Recording)

किसी भी लेन-देन को पहली बार बही या खाता पंजी में लिखे जाने की क्रिया को अभिलेखन कहा जाता है। इसे रोजनामचा (Journal) भी कहा जाता है।

वर्गीकरण (Classification)

बही में अभिलेखित की गई मदों को अलग-अलग भागों में विभाजित कर लिखे जाने को वर्गीकरण कहा जाता है। वर्गीकरण को खाता (Ledger) भी कहते हैं।

संक्षेपण (Summarising)

वर्गीकृत मदों को एक जगह लिखे जाने की क्रिया को संक्षेपण कहा जाता है। संक्षेपण को परीक्षा सूची (Trial balance) भी कहते हैं।

लेखांकन का इतिहास

लेखांकन का उद्भव 4000 ई.पू. मिस्र के बेबीलोनिया नामक शहर में हुआ। जहाँ मज़दूरी एवं करों का लेखा मिट्टी की एक पट्टी पर किया जाता था।

- वर्तमान में लेखांकन की दोहरी लेखा पद्धति प्रचलन में है। इस पद्धति का जनक 'लूका पेसिओली' (Luca Pacioli) को माना जाता है।
- भारत में लेखांकन का प्रचलन 2300 ई.पू. कौटिल्य के समय से माना जा सकता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में थे तथा जिन्होंने 'अर्थशास्त्र' के नाम से एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें 'लेखांकन अभिलेखों को कैसे रखा जाए' का वर्णन किया गया था।

खंड C

विश्व की अर्थव्यवस्था

18 विश्व व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
(World Trade or International Trade)

विश्व व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से भी जाना जाता है। विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं या सेवाओं के आयात-निर्यात को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। वर्तमान जटिल अर्थव्यवस्था में कोई भी राष्ट्र पूर्णतया आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। प्रत्येक देश में कुछ वस्तुएँ उसकी आवश्यकता से अधिक रहती है, तो कुछ वस्तुएँ उसकी आवश्यकता से कम होती है। इस प्रकार वस्तुओं या सेवाओं की कमी या अधिकता विश्व व्यापार को जन्म देती है। प्रत्येक देश अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का निर्यात करता है और जरूरी वस्तुओं का आयात करता है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कोई नई परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक प्राचीन परंपरा है। पुराने रेशम मार्ग (Old Silk Route) द्वारा प्राचीन काल में चीन तथा दक्षिण-पश्चिम एशिया के बीच व्यापार होता था। इसी दक्षिणी स्थल मार्ग से होकर जाने वाले कारवाँ, रेशम, लौह वस्तुएँ और मसालों का व्यापार करते थे। एशियाई और यूरोपीय देशों के बीच भी प्राचीन काल से ही व्यापार चलता आया है। विभिन्न नए देशों की खोज के पीछे व्यापार की चाह ही थी। वैश्विक व्यापार में द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से तीव्रता से वृद्धि हुई है, जो आज विभिन्न आयामों में पहुँच चुकी है।

वैश्वीकरण के दौर में विश्व व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक अपरिहार्य आवश्यकता है। वैश्विक व्यापार में वृद्धि होने से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक निर्भरता भी निरंतर बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के बिना देश अपनी घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं तक सीमित रह जाएंगे। इसी कमी को दूर करने के लिये विश्व व्यापार की आवश्यकता का जन्म हुआ है। विश्व व्यापार को विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं। विदेशी व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारस्परिक सहयोग से एक-दूसरे पर निर्भरता तथा एक-दूसरे की भागीदारी एवं सहायता से आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है।

विदेशी व्यापार : सामान्य परिचय
(Foreign Trade : General Introduction)

"दो राष्ट्रों के मध्य पूंजी, वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय-विक्रय को विदेशी व्यापार कहते हैं।" किसी देश के विदेशी व्यापार से उसकी अर्थव्यवस्था की प्रकृति और उसके आकार का पता चलता है। यदि किसी देश के कुल निर्यात में मूल्य के अनुसार, प्राथमिक उत्पादों (खाद्यान्न, खनिज आदि) की उपस्थिति अधिक होती है, तो सामान्यत: उसकी अर्थव्यवस्था अल्प विकसित और विकासशील प्रकृति की मानी जाती है। विकसित अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादनों एवं सेवा क्षेत्र के निर्यात की प्रधानता होती है। यदि किसी देश का निर्यात उसके कुल आयात से अधिक होता है तो विदेशी व्यापार में वह व्यापार अधिशेष (Trade Surplus) की स्थिति में होता है, परंतु आयात अधिक एवं निर्यात कम होने की स्थिति में विदेशी व्यापार के संदर्भ में वह देश व्यापार घाटे (Trade Deficit) की स्थिति में होता है।

विदेशी व्यापार किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्रिया में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण द्वारा उत्पादन साधनों की दक्षता और कार्य कुशलता में वृद्धि कर आर्थिक उन्नयन करता है। खुली अर्थव्यवस्था को विदेशी व्यापार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। विदेशी व्यापार की महत्ता वैश्वीकरण के इस दौर में बहुत अधिक बढ़ गई है। किसी भी देश के लिये विदेशी व्यापार का महत्त्व निम्नलिखित रूप में है-

- यह विदेशी मुद्रा अर्जन का प्रमुख साधन है।
- विभिन्न देशों के मध्य पारस्परिक सहयोग में वृद्धि करता है।
- आवश्यक वस्तुओं के आयात तथा अधिशेष वस्तुओं के निर्यात से अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित होता है।
- बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन करता है।
- मशीनरी, तकनीक एवं पूंजीगत आयात से अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक मज़बूती आती है।
- विदेशी व्यापार किसी भी राष्ट्र की उन्नति का महत्त्वपूर्ण कारक है।

अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी व्यापार के आधार
(Basis of International or Foreign Trade)

वैश्विक संवृद्धि के बाद से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। वैश्विक संवृद्धि विश्व व्यापार प्रतिरूपों के अनुरूप बदलती रहती है। इन बदलावों में वैश्विक व्यापारिक समूहों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है। लेकिन वर्तमान व्यापार प्रतिरूप में वैश्विक व्यापारिक समूहों के बजाय क्षेत्रीय स्तर पर गठित व्यापारिक समूहों ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कई आधारों पर निर्भर करता है, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं-

19 भुगतान संतुलन (Balance of Payment)

किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास एवं संवृद्धि में उस राष्ट्र के आंतरिक एवं बाह्य व्यापार का अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। किसी भी राष्ट्र की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति आंतरिक साधनों एवं क्रियाओं के द्वारा नहीं की जा सकती, इसलिये बाह्य या विदेशी व्यापार को अनुकूल रखे जाने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। देश की आर्थिक प्रगति के लिये निर्यात बढ़ाने एवं आयात निर्भरता कम करने का निरंतर प्रयास किया जाता है। निर्यात में वृद्धि भुगतान संतुलन एवं विदेशी विनिमय कोष के लिये भी आवश्यक है। किसी भी देश के विदेशी लेन-देन का पूर्ण विवरण भुगतान संतुलन के माध्यम से ज्ञात होता है। भुगतान संतुलन किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को चालू खाते एवं पूंजीगत खातों के माध्यम से प्रस्तुत करता है।

भुगतान संतुलन : अर्थ एवं अवधारणा (Balance of Payment : Meaning and Concepts)

किसी देश का भुगतान संतुलन एक निश्चित अवधि सामान्यत: एक वित्तीय वर्ष में उस देश और शेष विश्व के साथ उसके सभी व्यापार, जिनके मौद्रिक मूल्य की गणना हो सकती है, का क्रमबद्ध विवरण होता है। भुगतान संतुलन खाते इस प्रकार के खाते होते हैं, जिनमें किसी अर्थव्यवस्था अथवा देश का शेष विश्व के साथ सभी प्रकार के मौद्रिक लेन-देन का लेखांकन दर्ज किया जाता है। इसमें सभी प्रकार के आर्थिक लेन-देन (दृश्य, अदृश्य या पूंजीगत) का समस्त विवरण उपलब्ध होता है। भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन की तुलना में व्यापक शब्द है। व्यापार संतुलन में केवल वस्तुओं का आयात और निर्यात शामिल होता है जबकि भुगतान संतुलन में वस्तु एवं सेवाएँ दोनों शामिल होते हैं।

कोई देश जब विश्व के अन्य देशों को वस्तु एवं सेवाएँ विक्रय करता है तो उसे निर्यात कहते हैं तथा दूसरे देशों से जिन वस्तु एवं सेवाओं का क्रय करता है उसे हम उसका आयात कहते हैं। आयात-निर्यात के दौरान दृश्य एवं अदृश्य मदों के तहत प्रविष्टि की जाती है। दृश्य मदों के अंतर्गत वस्तुओं के आदान-प्रदान तथा अदृश्य मदों के अंतर्गत सेवाओं (पर्यटन, चिकित्सा, कंसल्टेंसी, सॉफ्टवेयर, शिक्षा) के आदान-प्रदान को सम्मिलित किया जाता है। पूंजी खाते के अंतर्गत बैंकिंग जमा, विदेशी ऋण, विदेशी निवेश, आप्रवासियों और एन.आर.आई. जमा आदि को सम्मिलित किया जाता है।

भुगतान संतुलन खाते के मुख्य घटक *(Main components of Balance of Payment Account)*

भुगतान संतुलन खाते के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं-

- चालू खाता
- पूंजी खाता
- विदेशी विनिमय कोष खाता

चालू खाता (Current Account)

भुगतान संतुलन के चालू खाते में दृश्य एवं अदृश्य मदों (वस्तुओं और सेवाओं) के आयात-निर्यात को सम्मिलित किया जाता है। चालू खाते में वस्तुओं एवं सेवाओं के भुगतान के अतिरिक्त एकपक्षीय भुगतान, ब्याज लाभांश भुगतान तथा उपहार आदि को भी सम्मिलित किया जाता है। वस्तुओं के निर्यात को आयात से घटाकर व्यापार संतुलन प्राप्त किया जाता है।

किसी भी देश के भुगतान संतुलन (BoP's) के अनुकूल या प्रतिकूल होने का निर्णय उस देश के भुगतान संतुलन के चालू खाते के आधार पर किया जाता है। भुगतान संतुलन के चालू खाते में सम्मिलित मदों का सीधा प्रभाव अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन एवं रोज़गार पर पड़ता है।

चालू खाते के घाटे को कम करने के उपाय निम्नलिखित हैं-

- अनावश्यक आयात पर रोक लगाना।
- सेवा व्यापार को बढ़ावा देना।
- पेट्रोलियम पदार्थों के विकल्प ढूंढने की आवश्यकता।
- निर्यात संवर्द्धन एवं आयात प्रतिस्थापन पर बल।
- विदेशी व्यापार में निर्यात को बढ़ावा देना।
- रुपए को पूर्ण परिवर्तनशील बनाना।

इस खाते के तहत आने वाले घटकों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है।

निर्यात (Export–'X')

कृषि एवं औद्योगिक वस्तुओं के निर्यात मूल्य को व्यापार खाते में निर्यात कहते हैं, जिसे 'X' से दर्शाया जाता है। इसमें सेवाओं के निर्यात को सम्मिलित नहीं किया जाता है।

आयात (Import–'M')

कृषि एवं औद्योगिक वस्तुओं के आयात मूल्य को व्यापार खाते में आयात के रूप में दर्ज किया जाता है, जिसे M से दर्शाया जाता है। किसी भी व्यापार खाते में दृश्य (Visible) वस्तुओं के निर्यात एवं आयात का ही लेखा-जोखा रखा जाता है।

व्यापार शेष (Balance of Trade–BoT)

व्यापार खाते में निर्यात और आयात के साथ उनके सापेक्षिक मूल्य के आकलन को व्यापार शेष के माध्यम से नापा जाता है। इसमें होता है-

- निर्यात (X) > आयात (M) = सकारात्मक शेष = व्यापार अधिशेष (Trade Surplus)
- निर्यात (X) < आयात (M) = नकारात्मक शेष = व्यापार घाटा (Trade Deficit)
- निर्यात (X) – आयात (M) = 0 = व्यापार संतुलन (Balance of Trade)

20 अंतर्राष्ट्रीय संगठन
(International Organisation)

'अंतर्राष्ट्रीय संगठन' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्कॉटलैंड के प्रमुख विधिवेत्ता जेम्स लोरिमर ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन उन संस्थाओं को कहते हैं जिनका सदस्य, कार्यक्षेत्र, प्रकृति, भूमिका एवं विस्तार वैश्विक स्तर पर हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आधारशिला अपने हितों की रक्षा के लिये विभिन्न राज्यों के मध्य स्वेच्छापूर्ण तरीके के स्वीकार्य अनुशासन एवं नियंत्रण की आवश्यकता ने रखी। विभिन्न देशों द्वारा अपनी समस्याओं तथा अन्य वैश्विक विवादों पर साझा विचार-विमर्श के माध्यम से सहमति एवं समाधान प्राप्त करने तथा पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निष्पक्ष एवं तटस्थ मंच की स्थापना की आवश्यकता ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को जन्म दिया। ये संगठन विभिन्न राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा करते हुए शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, सहयोग एवं स्पर्द्धा की भावना जाग्रत् करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कई प्रकार की श्रेणियों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन कार्यरत हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं सहयोग के लिये संयुक्त राष्ट्र संगठन की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

इसी संदर्भ में देखें तो, वैश्विक स्तर पर पूंजी एवं तकनीकी के लेन-देन के माध्यम से संतुलित एवं समन्वित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक तथा विश्व व्यापार संगठन ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर व्यापार एवं सहयोग को बढ़ावा देने के लिये मुक्त व्यापार समझौतों के क्रियान्वयन से आसियान, सार्क, शंघाई सहयोग संगठन, एपेक, यूरोपीय यूनियन आदि जैसे संगठन भी महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations Organisation)

क्या यह एक विचित्र संयोग है कि मानव आचरण में युद्ध एवं शांति, विध्वंस एवं निर्माण के बीज एक साथ निहित दिखाई देते हैं जैसा कि नेपोलियन युद्धों के बाद हॉली एलायंस (Holy Alliance), प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् राष्ट्र संघ की स्थापना एवं द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसके प्रमाण के रूप में दिखाई देते हैं।

प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् राष्ट्र संघ की स्थापना में जहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने प्रमुख भूमिका निभाई थी वहीं द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद वैसी ही भूमिका एक अन्य अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रेंकलिन डी. रूजवेल्ट की थी।

संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 24 अक्तूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर करने के साथ हुई। दो विश्वयुद्धों की विभीषिका एवं राष्ट्र संघ की असफलता के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं सहयोग की आवश्यकता ने संयुक्त राष्ट्र संघ को जन्म दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क (संयुक्त राज्य अमेरिका) में है और इसके वर्तमान सदस्यों की संख्या 193 है। 24 अक्तूबर को हर वर्ष 'संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस' के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस (पुर्तगाल) हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य *(Objectives of UNO)*

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद-1 के अनुसार इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं-

- अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना।
- समान अधिकार और आत्म-निर्णय सिद्धांत के आधार पर देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना।
- अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय समस्याओं के समाधान के लिये सहयोग करना और मानवाधिकारों एवं बुनियादी स्वतंत्रता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना।
- इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रयास कर रहे देशों की गतिविधि में समन्वय स्थापित करने के लिये एक केंद्र के रूप में कार्य करना।

समय के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन उद्देश्यों से जुड़े हुए लक्ष्य भी निर्धारित किये हैं, ये हैं- निरस्त्रीकरण और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना।

संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत *(Principles of the UNO)*

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद-2 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं-

- यह सभी सदस्य देशों की संप्रभुता की समानता पर आधारित है।
- सभी सदस्य देश घोषणा-पत्र में वर्णित अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करेंगे।
- वे अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं न्याय को खतरे में डाले बगैर अपने विवादों का अंतर्राष्ट्रीय समाधान खोजने का प्रयास करेंगे।
- सदस्य देश किसी दूसरे देश के विरुद्ध बल का प्रयोग करने अथवा उसको धमकी देने में संयम बरतेंगे।
- संयुक्त राष्ट्र यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे देश जो कि उसके सदस्य नहीं हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिये उसके सिद्धांतों के अनुरूप ही व्यवहार करें।

संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना *(Structure of the UNO)*

संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग हैं-

महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यासिता परिषद एवं सचिवालय।

- **महासभा (General Assembly) :** संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रमुख अंग के रूप में महासभा कार्य करती है जिसमें सभी सदस्य देशों के

तेज़ी से बदलते वक्त
और डिजिटल होती दुनिया के साथ
हम भी रख रहे हैं कदम,
पढ़ाई-लिखाई के ऑनलाइन संसार में

Drishti Learning App

पर आपका स्वागत है

GET IT ON Google Play

अपने एंड्रॉयड फोन पर आज ही इंस्टॉल करें

ऐप की विशेषताएँ

- टीम दृष्टि द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाएँ एक ही मंच पर।
- ऑनलाइन, पेनड्राइव, टैबलेट मोड में कक्षाएँ उपलब्ध।
- प्रिलिम्स और मेन्स की टेस्ट सीरीज़ भी ऐप के माध्यम से उपलब्ध।
- सभी पुस्तकें, मैगजीन, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के नोट्स देखने व मंगवाने की सुविधा।
- दृष्टि की वेबसाइट पर उपलब्ध डेली करेंट अफेयर्स, न्यूज़, आर्टिकल्स, क्विज़ तथा कई अन्य सुविधाएँ।
- हमारे हिंदी और अंग्रेज़ी यूट्यूब चैनल्स के सभी वीडियो वर्गीकृत रूप में उपलब्ध।
- टॉपर्स की उत्तर-पुस्तिकाएँ, एनसीइआरटी प्रश्नोत्तरी, हज़ारों अभ्यास प्रश्नों की सुविधा।

ऑनलाइन कोर्स की विशेषताएँ

- घर बैठे देश के सर्वोत्कृष्ट अध्यापकों से पढ़ने की सुविधा।
- अब दिल्ली या किसी बड़े शहर जाकर पढ़ने की मजबूरी नहीं।
- IAS और PCS के कोर्स उपलब्ध।
- ऑनलाइन कोर्स करने के बाद, क्लासरूम कोर्स में प्रवेश लेने पर शुल्क में विशेष छूट।
- हर क्लास अपनी सुविधा से 3 बार देखने की सुविधा।
- उत्तर लिखकर चेक कराने तथा संदेह-समाधान की व्यवस्था भी शीघ्र उपलब्ध।
- कई विषयों के कोर्स ऑनलाइन, पेनड्राइव, एस.डी. कार्ड एवं टैबलेट मोड में भी उपलब्ध।

दृष्टि आई.ए.एस. (दिल्ली) :
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
☎ 87501 87501

दृष्टि आई.ए.एस. (प्रयागराज) :
ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइन्स, प्रयागराज
☎ 87501 87501

दृष्टि पब्लिकेशन्स की प्रमुख पुस्तकें

प्रिलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ की पुस्तकें

RAS Book सीरीज़ की पुस्तकें

641, Ist Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-9
Ph.: 011-47532596, 87501 87501
Website: www.drishtiias.com
E-mail: booksteam@groupdrishti.com

मूल्य : ₹410